2024:CGHC:44099-DB

ए एफ आर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

सी०आर०एम०पी० नंबर– 1488/2023

गुरजिंदर पाल सिंह, पिता परमजीत सिंह प्लाहा, उम्र– लगभग 54 वर्ष, व्यवसाय, निदेशक राज्य पुलिस अकादमी, चंदखुरी, रायपुर (छ०ग०) 492101 निवासी– ई–1, विवेकानंद नगर, पेंशन बाड़ा, पुलिस लाईन के पीछे, रायपुर, जिला– रायपुर छ०ग०

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय अटल नगर, नवा रायपुर (छ०ग०)
2. पुलिस महानिदेशक, कार्यालय पुलिस महानिदेशक मंत्रालय के पास, सेकटर–19, नया रायपुर (छ०ग०)
3. पुलिस अधीक्षक जिला–दुर्ग (छ०ग०)
4. थाना प्रभारी थाना सुपेला, जिला–दुर्ग (छ०ग०)
5. कमल कुमार सेन, उम्र–47 वर्ष, पिता– हरि नारायण सिंह, निवासी– सूर्या विहार, भिलाई, B–56, फेज़–II, चौकी स्मृति नगर पुलिस थाना सुपेला, जिला– दुर्ग (छ०ग०)

.... प्रतिवादीगण

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सी०आर०एम०पी० नंबर–2747/2023

गुरजिंदर पाल सिंह पिता– परमजीत सिंह प्लाहा, उम्र– लगभग 51 वर्ष, वर्तमान पता– ई–1, नेशनल हाईवे कॉलोनी, विवेकानंद नगर, पेंशनबाड़ा रायपुर 492001

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय अटल नगर, नवा रायपुर (छ०ग०)

2. पुलिस महानिदेशक, कार्यालय पुलिस महानिदेशक मंत्रालय के पास, सेकटर–19, नया रायपुर (छ०ग०)
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/आर्थिक अपराध (एसीबी/ईओडब्ल्यू), छत्तीसगढ़ रायपुर
4. थाना प्रभारी, थाना एसीबी/ईओडब्ल्यू, छत्तीसगढ़, रायपुर

.... प्रतिवादीगण

<u>सी०आर०एम०पी० नंबर–683/2024</u>

गुरजिंदर पाल सिंह , पिता– एस० परमजीत सिंह प्लाहा, उम्र– लगभग 55 वर्ष, निवासी– ई–1, नेशनल हाईवे कॉलोनी, विवेकानंद नगर, पेंशनबाड़ा रायपुर 492001, जिला– रायपुर (छ०ग०)

.... याचिकाकर्ता

<u>बनाम</u>

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, गृह विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, महानदी भवन, नया रायपुर (छ०ग०)
2. सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन नया रायपुर (छ०ग०)
3. पुलिस अधीक्षक जिला– रायपुर (छ०ग०)
4. थाना प्रभारी पुलिस थाना कोतवाली, जिला–रायपुर (छ०ग०)

.... प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से श्री राजेश गर्ग, वरिष्ठ अधिवक्ता (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) एवं श्री हिमांशु पांडे अधिवक्ता ।

प्रतिवादी/राज्य की ओर से श्री अखिलेख कुमार, शासकीय अधिवक्ता ।

प्रतिवादी क्र० 05 की ओर से श्री संजय कुमार अग्रवाल अधिवक्ता ।

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति

माननीय श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल, न्यायाधीश

बोर्ड पर निर्णय

श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा

13.11.2024

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1. याचिकाकर्ता की ओर से श्री राजेश गर्ग वरिष्ठ अधिवक्ता(विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) तथा विद्वान अधिवक्ता श्री हिमांशु पांडे को सुना गया। राज्य/प्रतिवादीगण के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री अखिलेख कुमार तथा प्रतिवादी क्र० 05 कमल कुमार सेन के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार अग्रवाल को भी सुना गया ।

2. चूंकि तीनो याचिकाओं में याचिकाकर्ता एक ही है तथा मुद्दे भी एक ही हैं, मामले आपस में संबंधित हैं और समान प्रकृति के हैं, इसलिए उन्हें इस सामान्य निर्णय द्वारा एक साथ सुना और निराकृत किया जा रहा है।

3. सीआरएमपी नं. 2023/1488 में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थना की है –

"(क) यह कि माननीय न्यायालय प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ता के मामले से संबंधित पूरे रिकॉर्ड को पेश करने का निर्देश दे ।

(ख) यह कि माननीय न्यायालय एफआईआर सं. 590 में वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज थाना सुपेला, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 388,384,506 सहपठित धारा 34 के साथ–आरोप पत्र

संख्या 334/2022 और न्याय और समानता के आलोक में सभी परिणामी आपराधिक कार्यवाही को समाप्त किया जाना आदेशित किया जावे।

(ग) यह कि माननीय न्यायालय याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अन्य आदेश जो वह उचित समझे पारित करने के लिए प्रसन्न हो तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उचित वादव्यय दिलाया जावे ।

4. सीआरएमपी नं. 2023/2747 में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष चाहा है –

"(क) यह कि माननीय न्यायालय प्रत्यर्थी अधिकारियों को याचिकाकर्ता के मामले से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें ।

(ख) यह कि माननीय न्यायालय, विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.08.2023 को पारित आदेश, जिसमें पीसी अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) 13 (2) और 12 तथा आईपीसी की धारा 467, 471, 201 और 120 बी के अधीन आरोप विरचित किए गए हैं और प्रकरण क्रमांक– 01/2022 में न्याय और समानता के आलोक में संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित मामले को निरस्त किया जावे ।

(ग) यह कि, माननीय न्यायालय दिनांक 15.09.2023 के आदेश को निरस्त करे और अभियोजन मंजूरी आदेश क्रमांक– 08/26/2022/21–ए (गद्य)/सीजी, ,नवा रायपुर, दिनांक 04.03.2022 को सीआरपीसी की धारा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

197 और अभियोजन मंजूरी आदेश क्रमांक– 26011/18/2022–IPS.II दिनांक 19.09.2022 पीसी अधिनियम की धारा 19 के तहत अवैध और शून्य घोषित करे ।

(घ) यह कि माननीय न्यायालय याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अन्य आदेश जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उचित समझे एवं वादव्यय के संबंध में आदेश पारित करे ।

5. सीआरएमपी नं. 2024/683, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष चाहा है –

"(ए) यह कि माननीय न्यायालय प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ता के मामले से संबंधित पूरे रिकॉर्ड को पेश करने का निर्देश दें ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ख) यह कि माननीय न्यायालय वर्तमान याचिकाकर्ता के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 124–क 5 और 153–क के तहत थाना कोतवाली, जिला रायपुर, छ०ग० में दर्ज एफआईआर क्रमांक– 134/21 एवं आरोप पत्र क्रमांक–120/2021 और उसके परिणामस्वरूप न्याय और समता के आलोक में उद्भूत दंडात्मक कार्यवाहियों को निरस्त किये जाने का आदेश पारित करें ।

(ग) यह कि माननीय न्यायालय दिनांक 18/08/2021 के मंजूरी आदेश संख्या 08/72/2021/21–का (अभी।)/C.G. और मंजूरी आदेश दिनांक 18/08/2021 नंबर 08/73/2021/21–का (अभी।)/C.G. [(एनेक्सुर

पी/2 (कोली)] को निरस्त किये जाने का आदेश पारित करें ।

(घ) यह कि माननीय न्यायालय संबंधित अधिकारी (अधिकारियों)/किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों), जिसके कहने पर वर्तमान आपराधिक अभियोजन शुरू किया गया है और निष्पादित किया गया है, के विरुद्ध एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का निर्देश दें ।

(ङ) यह कि माननीय न्यायालय याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अन्य आदेश जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित प्रतीत हो, के संबंध में तथा वाद व्यय के संबंध में उचित आदेश पारित करे ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. याचिकाकर्ता के अनुसार, वह भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के हैं और उन्हें शुरू में मध्य प्रदेश कैडर आवंटित किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन पर, उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य में पुनर्स्थापित किया गया। पुलिस विभाग के प्रति उनकी प्रतिबद्ध और कुशल सेवाओं के लिए उन्हें सरकार द्वारा कई पुरस्कारों/पदकों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस महानिरीक्षक, नक्सल अभियान के रूप में कार्य किया है। उन्हें वर्ष 2007 में "वीरता के लिए पुलिस पदक" से सम्मानित किया गया है और वर्ष 2011 में उन्हें सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था।

7. छत्तीसगढ़ राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा खाद्यान्न की खरीद करने वाले

नागरिक अपूर्ति निगम(संक्षेप में, एनएएन) में अनियमितताओं के संबंध में एफ़. आई. आर. क्राइम नं. 9/2015 दर्ज किया गया था। छापों के दौरान दो डायरियां बरामद की गईं जिनमें विभिन्न सरकारी अधिकारियों को दी गई अवैध संतुष्टि और "सीएम सर" और "सीएम मैडम" आदि जैसे संक्षिप्त नामों का विवरण था। जिसने राज्य में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। उक्त एफ. आई. आर. में आरोप पत्र क्रमांक– 9/2015 में आरोप पत्र को 06.06.2015 को संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर किया गया था और विचारण प्रारंभ किया गया । 17.12.2018 को राजनीतिक व्यवस्था बदल गई और एक अन्य राजनीतिक दल सत्ता में आया और नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली। 08.01.2019 को, सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें श्री अनिल टुटेजा जो एनएएन घोटाला के मुख्य आरोपी थे, के अनुरोध पर एक विशेष जांच दल (संक्षेप में, एसआईटी) का गठन प्रथम सूचना पत्र क्रमांक 09/2015 के पुनः विवेचना हेतु किया गया था । उक्त प्रकरण में विशेष जांच दल के गठन की वैधता को जनहित याचिका डब्ल्यू. पी. (पी. आई. एल.) क्रमांक–. 10/2019 के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी । उक्त जनहित याचिका में दिनांक 15.02.2019 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि एसआईटी उस तरीके से कार्य नहीं कर सकती है जो किसी के लिए प्रतिकूल हो जब तक कि इसकी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्थिति अदालत द्वारा अंतिम रूप से तय नहीं की गई हो । दिनांक 28.02.2019 को, याचिकाकर्ता को पुलिस महानिरीक्षक, एसीबी/ईओडब्ल्यू के रूप में नियुक्त किया गया था और दिनांक 11.03.2019 के आदेश द्वारा उक्त एसआईटी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनांक 14.09.2019 को, उन्हें लगभग रात्रि 10.00 बजे तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा बैठक के लिए बुलाया गया था और इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.02.2019 के अंतरिम आदेश के बावजूद डायरी में "सीएम सर" और "सीएम मैडम" जैसी प्रविष्टियों के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी को फंसाने के निर्देश दिये गये थे। दिनांक 10.05.2020 को, याचिकाकर्ता को एक अहस्ताक्षरित एजेंडा, जिसमें हिट लिस्ट थी, को सौंपा गया तथा येन केन प्रकारेण आगे कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये । चूंकि याचिकाकर्ता ने अवैध दबावों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इसलिए उसे मनमाने ढंग से 01.06.2020 को स्थानांतरित कर दिया गया। याचिकाकर्ता को सबक सिखाने के लिए दिनांक– 29.06.2021 को, पुलिस स्टेशन, एसीबी/ईओडब्ल्यू में प्रथम एफ०आई०आर० क्रमांक 22/2021 अंतर्गत धारा 13 (1) (बी) पी०सी० एक्ट दर्ज किया गया। इसके बाद, एसीबी ने दिनांक–01.07.2021 से 03.07.2021 तक याचिकाकर्ता के आधिकारिक आवास पर छापा मारा। इसी अवधि के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक, रायपुर के शाखा प्रबंधक मणि भूषण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के आधिकारिक आवास पर भी एक साथ छापा मारा गया, जिनके घर से 2 किलो सोने के बुलियन और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए, जिसे कथित रूप से याचिकाकर्ता का होना बताया गया । उक्त प्राथमिकी में आरोप पत्र दिनांक– 08.03.2022 को दायर किया गया था।

8. इसके बाद, दिनांक 08.07.2021 को थाना कोतवाली रायपुर में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए और 153 ए के तहत दूसरी प्रथम सूचना पत्र 0134/2021 दर्ज की गई, जो प्रथम सूचना पत्र क्रमांक 22/21 थाना एसीबी/ईओडब्ल्यू की विवेचना में ए.सी.बी. छापे के दौरान याचिकाकर्ता के घर के बाहर तूफान के कारण नाले से बरामद कुछ अप्रमाणित फटे पृष्ठों एवं मणि भूषण के घर से बरामद दस्तावेजों के आधार पर दर्ज किया गया था। उक्त प्रथम सूचना पत्र में भी 18.08.2021 को आरोप पत्र दायर किया गया है। राज्य, के द्वारा इस कार्यवाही को नहीं रोका गया तथा एक तीसरी प्रथम सूचना पत्र क्रमांक– 590/2021, पीएस सुपेला, दुर्ग में भा०द०वि० की धारा 388, 506 और 34 के तहत दिनांक 28.07.2021 को याचिकाकर्ता के खिलाफ वर्ष 2016 की एक घटना से दर्ज किया गया था । उक्त शिकायत शिकायतकर्ता कमल कुमार सेन, जो अपराध क्रमांक–195/15 दिनांक 24.04.2015 थाना महासमुंद का आरोपी था, की शिकायत पर दर्ज हुआ था । जिस दौरान याचिकाकर्ता आईजीपी रेंज ऑफिसर रायपुर रेंज के पद पर पदस्थ था । यहां,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 197 द०प्र०सं० के तहत किसी भी अभियोजन मंजूरी आदेश के बिना भा०द०वि० की धारा 388, 384, 506 और 34 के तहत अपराधों के लिए दिनांक 23.05.2022 को आरोप पत्र दायर किया गया था।

9. उन्हीं तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर विभागीय आरोप पत्र याचिकाकर्ता को अखिल भारतीय सेवा (डी एंड ए) नियम 8.1969 के तहत 12.08.2021 को और 20.07.2023 को जारी किया गया था, तथ्यों, दस्तावेजों और तीन प्राथमिकियों के आधार पर याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से राज्य/प्रतिवादी की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। दिनांक 20.07.2023 के आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा 30.04.2024 को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसमें उक्त आदेश को विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया था, उक्त आदेश में कहा गया था कि याचिकाकर्ता को तीनों प्राथमिकियों में फंसाया गया है क्योंकि उसने राजनीतिक आकाओं के दबाव की अवैध रेखा का पालन नहीं किया था। दिनांक 21.05.2024 को, गृह विभाग के निर्देश पर, एसीबी ने दिनांक 12.08.2021 को विभागीय आरोप पत्र में याचिकाकर्ता के जवाब में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं, जिसमें यह स्वीकार किया गया है:–(i) थाना ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू. की प्रथम सूचना पत्र 22/2021 के क्रम संख्या क्रमांक 07 से 17 में उल्लिखित संपत्तियों से संबंधित कोई जांच नहीं की गई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

थी। (ii) याचिकाकर्ता के आवास पर छापे की कार्यवाही के ए.सी.बी. द्वारा किए गए वीडियो–ग्राफी से, डी. वी. आर., याचिकाकर्ता द्वारा फेंके गए दस्तावेजों के फटे टुकड़े आदि जैसे सबूतों को नष्ट करने के बारे में तथ्य सत्यापित नहीं हैं, और (iii) याचिकाकर्ता के घर के बाहर तूफान के कारण नाले से दस्तावेजों के फटे टुकड़े की बरामदगी अप्रमाणित हैं।

10. छत्तीसगढ़ राज्य ने दिनांक 28.05.2024 को केंद्र सरकार को एक पत्र भेजकर न्यायाधिकरण के दिनांक 30.04.2024 के आदेश का पालन करने और याचिकाकर्ता को बहाल करने का अनुरोध किया। केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करके दिनांक 23.08.2024 को विद्वत अधिकरण के दिनांक 30.04.2024 के आदेश की वैधता को चुनौती दी, जिसमें विद्वत अधिकरण के आदेश को बरकरार रखा गया और केंद्र सरकार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गर्ग ने तर्क किया है कि जहां तक Cr.M.P. क्रमांक– 2747/2023 का संबंध है, याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही एवं उसे निपटाने की मंशा से एक मनगढ़ंत प्रथम सूचना पत्र, जिसका अपराध क्रमांक– 22/2021, थाना एसीबी/ईओडब्ल्यू अंतर्गत पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (बी) के तहत 13 (2) को बनावटी एवं मनगढंत सूचना के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसके परिपालन में दिनांक

01.07.2021 को याचिकाकर्ता के अधिकारिक आवास में तथा एसबीआई रायपुर के शाखा प्रबंधक श्री मणि भूषण के अधिकारिक आवास में एक साथ तलाशी ली गई । यह अभिलेख की विषय वस्तु है कि उक्त प्रथम सूचना पत्र (जो मनगढंत जानकारी के आधार पर दर्ज थी) में सिरियल नंबर 07 से 17 में उल्लेखित संपत्ति का याचिकाकर्ता से कोई संबंध नहीं है तथा उसे केवल झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए शामिल किया गया था । ए. सी. बी. ने दिनांक 21.05.2024 के अपने पत्र में स्वयं स्वीकार किया है कि इन संपत्तियों के संबंध में कोई जांच नहीं की गई थी और इसलिए इन संपत्तियों के संबंध में आरोप पत्र के साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं हैं। उक्त तलाशी में जब याचिकाकर्ता के आवास से कुछ भी ठोस बरामद नहीं हुआ, तो मणि भूषण की स्कूटी से बरामद दो किलो सोने की छड़ों को याचिकाकर्ता की ओर से बरामद होना बताया गया, जो याचिकाकर्ता के विरूद्ध विभागीय जांच का आधार बना । इसके अलावा, मणि भूषण की स्कूटी से दो किलो सोने की छड़ें बरामद करने वाले डीवीआर को जप्त कर लिया गया एवं जाली दस्तावेज बनाये गये, जिससे डीवीआर को बैंक गार्ड से जोड़ने के लिए एक झूठी श्रृंखला दिखायी जा सके । यह तथ्य डीजीएम एसबीआई का डायरेक्टर एसीबी को लिखा पत्र दिनांक 08.07.2021 से उजागर होता है । याचिकाकर्ता को दुर्भावनापूर्ण ढंग से फंसाने के उद्देश्य से उसे उसका स्पष्टीकरण पेश करने का अवसर अधिनियम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की मंशा के अनुरूप नहीं दिया गया । याचिकाकर्ता की आय के वास्तविक स्रोत का खुलासा करने वाले विभिन्न दस्तावेजों को उसके खर्च को बढ़ाने के लिए दो किलो सोना लगाकर और याचिकाकर्ता के खाते में आधिकारिक टीए पर व्यय की गणना करने जैसे विभिन्न अन्य दुर्भावनापूर्ण कृत्यों का सहारा लेकर बढ़ते खर्च के विपरीत दुर्भावनापूर्ण तरीके से दबा दिया गया था। इसके अलावा, आरटीआई के प्रावधानों के तहत प्राप्त नोटशीट से पता चलता है कि द०प्र०सं० की धारा 197 के तहत अभियोजन मंजूरी आदेश दिनांक 04.03.2022 को जीएडी विभाग द्वारा जारी परिपत्र/आदेश संख्या 1–1–2/2003/1/6, दिनांक 26.05.2003 के उल्लंघन में माननीय मुख्यमंत्री की मंजूरी के बिना जारी किया गया था, उक्त परिपत्र इसकी प्रक्रिया को संहिताबद्ध करता है। सक्षम प्राधिकारी को पीसी अधिनियम की धारा 19 के तहत मंजूरी की सिफारिश करते समय याचिकाकर्ता के पक्ष के विभिन्न दस्तावेजों को दबा दिया गया था। पीसी अधिनियम की धारा 19 के तहत अनिवार्य मंजूरी के बिना दिनांक 08.03.2022 को आरोप पत्र दायर किया गया था। इसके अलावा, धारा 190 द०प्र०सं० एवं धारा 207 द०प्र०सं० के अनुपालन के तहत संज्ञान आदेश पारित किए बिना तथा न्यायिक विवेक के बिना आरोप लगाए गए थे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. श्री गर्ग के अनुसार, याचिकाकर्ता ने दिनांक 06.01.2022 को विवेचना अधिकारी को विधिवत सूचित किया था कि उसके कथन 1,2,3 में उसकी

संपत्ति के बारे में स्पष्टीकरण है तथा विधिक जांच के बाद उसे प्रस्तुत कर दिया जायेगा । इस संबंध में फिर से सचिव जीएडी के समक्ष दिनांक 18.01.2022 के पत्र के माध्यम से एक अभ्यावेदन किया गया था, लेकिन धारा 197 द०प्र०सं० के तहत दिनांक 04.03.2022 को एक अमान्य अभियोजन मंजूरी दी गई थी तथा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.03.2022 को पीसी एक्ट की धारा 13 (1) बी, 13 (2) 12 सहपठित धारा 120 बी, 201, 476, 471 भा०द०वि० में बिना अभियोजन स्वीकृति के आरोप पत्र भी दायर किया गया था। दिनांक 14.03.2022 को, पीसी अधिनियम की धारा 19 के तहत अभियोजन मंजूरी प्रस्ताव को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन दिनांक 06.01.2022 और 18.01.2022 की जानकारी को दबाने वाली डीओपीटी जांच सूची के साथ भारत सरकार को भेजा गया था और इस तरह, 19.09.2022 को, पीसी अधिनियम की धारा 19 के तहत अभियोजन मंजूरी आदेश प्रतिवादी द्वारा अग्रेषित अधूरी सामग्री के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी किया गया था। इस मामले में, याचिकाकर्ता के खिलाफ 04.08.2023 को पीसी अधिनियम की धारा 13 (1) ई, 13 (2) 12 के साथ आईपीसी की धारा 120 बी, 201,476,471 के तहत अपराधों के लिए 11 आरोप भी बनाए गए हैं। मुख्य गवाहों में से एक श्री मणि भूषण, जिनसे आरोप लगाया गया था कि दो किलोग्राम सोना बरामद किया गया है, से

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पूछताछ की गई और अपने साक्ष्य में उन्होंने खुलासा किया कि कैसे सोना और राजद्रोह से संबंधित दस्तावेज लगाकर और उन्हें याचिकाकर्ता के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर करके याचिकाकर्ता को फंसाने की साजिश रची गई थी। जाँच एजेंसी ने न केवल झूठी बरामदगी की, बल्कि एजेंसी के आपराधिक कृत्य को दर्ज करने वाले सीसीटीवी फुटेज को भी नष्ट कर दिया। दिनांक 27.03.2024 को, मुख्य गवाह श्री मणि भूषण के बयान के अतिरिक्त, आयकर विभाग द्वारा एक आदेश श्री मणि भूषण से बरामद दो किलोग्राम सोने की कार्यवाही के संबंध में पारित किया गया था, जिसे कथित रूप से याचिकाकर्ता का होना बताया गया था । उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया कि वह सोना याचिकाकर्ता का नहीं है। यहां तक कि ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू. ने गृह विभाग को दिए अपने उत्तर में दिनांक 18.03.2024 के अपने पत्र में यह स्वीकार किया कि प्रथम सूचना पत्र क्रमांक 22/2021 में उल्लेखित संपत्ति क्रमांक 07 से 17 के संबंध में कोई विवेचना नहीं की गई थी । इसके अतिरिक्त, उक्त संपत्तियों से संबंधित एक भी दस्तावेज दिनांक 08.03.2024 के आरोप पत्र में संलग्न नहीं किया गया है और भा०द०वि० की धारा 201 के संबंध में यह कहा गया है कि कथित आरोप वीडियोग्राफी में सत्यापित नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. श्री गर्ग ने तर्क में कहा है कि राज्य/प्रत्यर्थियों की संपूर्ण कार्यवाही द्वेष से ग्रस्त है और विद्वत अधिकरण द्वारा दिनांक 30.04.2024 को पारित आदेश द्वारा

समर्थित है और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2024 के आदेश द्वारा अधिकरण के आदेश की पुष्टि द्वारा इसे बरकरार रखा गया है। थाना एसीबी/ईओडब्ल्यू में पंजीकृत एफ०आई०आर० क्रमांक 21/2021 मनगढ़ंत है एवं प्राप्त जानकारियों से छेड़छाड़ की गई थी। संपत्ति के विवरण की सूची में संख्या क्रमांक 07 से 17 याचिकाकर्ता की नहीं है । जो राजस्व अभिलेखों से स्पष्ट है । उक्त संपत्तियों को तब खरीदा गया था जब याचिकाकर्ता नौवीं कक्षा का छात्र था। यहां तक कि गृह विभाग के एसएसपी, ए.सी.बी. ने दिनांक 21.05.2024 के अपने पत्र के माध्यम से स्वीकार किया है कि उक्त संपत्तियों से संबंधित कोई जांच नहीं की गई थी और इस तरह, आरोप पत्र में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए थे। यहां तक कि श्री मणि भूषण, जो अभियोजन पक्ष के गवाह नं. 4 हैं, से बरामद दो किलो सोने की छड़ों को बिना किसी तुक या कारण के याचिकाकर्ता का दिखाया गया था जो केवल आय से अधिक संपत्ति का मामला बनाने के लिए जांच एजेंसी के दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अपने फैसले में इस पहलू पर विस्तार से विचार किया है। इसके अलावा, श्री मणि भूषण की स्कूटी से 2 किलोग्राम सोने की छड़ें बरामद होने के संबंध में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के माध्यम से भौतिक साक्ष्य को प्रतिवादियों द्वारा दबा दिया गया है। प्रतिवादियों ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में याचिकाकर्ता को गलत तरीके से फंसाने के लिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आय से अधिक संपत्ति के प्रतिशत को बढ़ा–चढ़ाकर पेश किया है और गलत फार्मूले का इस्तेमाल किया है और आरोप पत्र दाखिल करते समय आय से अधिक संपत्ति के प्रतिशत की गणना के लिए जारी दिशा–निर्देशों और परिपत्रों का उल्लंघन किया है। व्यय को दुर्भावनापूर्ण रूप से बढ़ाया गया था, याचिकाकर्ता की वास्तविक आय को दुर्भावनापूर्ण रूप से दबा दिया गया था और याचिकाकर्ता को कानून के तहत अनिवार्य रूप से अपनी आय/व्यय और संपत्ति/देनदारियों की व्याख्या करने के अवसर से वंचित कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अभियोजन मंजूरी आदेश के संबंध में, अभियोजन मंजूरी देने की प्रक्रिया को छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.05.2003 द्वारा संहिताबद्ध किया गया है, जिसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री अंतिम मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। हालांकि, तत्काल मामले में द०प्र०सं० की धारा 197 के तहत अभियोजन मंजूरी देने से संबंधित नोटशीट याचिकाकर्ता द्वारा कानून और विधायी मामलों के विभाग 13 से प्राप्त की गई थी, जिसमें यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि उक्त नोट–शीट पर माननीय मुख्यमंत्री का कोई अनुमोदन नहीं है।

15. याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिनांक 04.08.2023 में उल्लिखित कोई भी आरोप पीसी अधिनियम की धारा 467,471,13 (1) (ई, 13 (2) और 12, भा०द०वि० की धारा 201 और 120 बी के तहत दंडनीय

अपराधों के लिए नहीं बनाए गए हैं। विद्वत विचारण न्यायालय ने आरोप तैयार करते समय अपने विवेक को लागू नहीं किया है क्योंकि द०प्र०सं० की धारा 190 के तहत कोई संज्ञान नहीं लिया गया था और आरोप पत्र पीसी अधिनियम की धारा 19 के तहत किसी भी अभियोजन मंजूरी के बिना दायर किया गया था। याचिकाकर्ता को डब्ल्यूपी (227) क्रमांक 223/2023 एवं डब्ल्यू पी (227) क्रमांक 191/2023 के तहत एक नया आवेदन धारा 307 द०प्र०सं० के तहत दायर करने के लिए विद्वान विशेष न्यायालय को कानून के अनुसार आवेदन का निपटान करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने 04.08.2023 को उक्त आवेदन दायर किया था, लेकिन उसी पर निर्णय नहीं लिया गया था और धारा 207 द०प्र०सं० के प्रावधानों का पालन किए बिना आरोप विरचित किये गये थे ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. सीआरएमपी क्रमांक– 1488/2023 के संबंध में, श्री गर्ग ने व्यक्त किया है कि तीसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट जो अपराध क्रमांक–590/2021 को थाना सुपेला, जिला दुर्ग में दिनांक–27.07.2021 को भा०द०वि० की धारा 388, 506 सहपठित धारा 34 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें 6 साल से अधिक की अस्पष्टीकृत देरी के बाद श्री कमल सेन की शिकायत पर "0" पर शिकायत दर्ज की गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता जब रायपुर रेंज में आईजीपी के पद पर पदस्थ हुए तब उन्होंने शिकायतकर्ता की

पत्नी को बिचौलिये के माध्यम से आश्वासन दिया था कि वह प्रथम सूचना पत्र क्रमांक 195/2015 दिनांक 23.04.2015 को 60 दिनों में चालान पेश नहीं होने देगा, जिससे शिकायतकर्ता अनिवार्य जमानत प्राप्त कर सके । शिकायतकर्ता कमल सेन थाना महासमुंद में दिनांक 23.04.2015 को दर्ज प्रथम सूचना पत्र क्रमांक 195/15 अंतर्गत धारा 467, 468, 471, 420, 120 बी भा०द०वि० में आरोपी है। जिसमें आरोप लगाया गया है कि टैंकर सीजी 04 एचक्यू 4745, जिसमें 28000 लीटर फर्नेस ऑयल था, को बदलकर शुबाम ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल एरिया बिरकोनी, महासमुंद में रखा गया था और इसके स्थान पर खराब गुणवत्ता वाले फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल किया गया था। दिनांक 25.06.2016 को शिकायतकर्ता कमल सेन की गिरफ्तारी के ठीक बाद, याचिकाकर्ता को दिनांक 11.07.2016 को पुलिस मुख्यालय, रायपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए शिकायतकर्ता को ऐसा आश्वासन देने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि याचिकाकर्ता अब संबंधित पुलिस स्टेशन पर किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के लिए पर्यवेक्षी अधिकारी नहीं था। इसके अलावा, यह रिकॉर्ड की बात है कि आरोपी कमल सेन जो प्रथम सूचना पत्र क्रमांक– 590/21, थाना सुपेला, दुर्ग को इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2017 को आदेश क्रमांक– 260/2017 में सक्षम न्यायालय में Rs.8,16,299/– की राशि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जमा करने की शर्त पर जमानत पर रिहा किया गया था। उक्त एफ. आई. आर. इस पहलू पर पूरी तरह से मौन है कि क्या शिकायतकर्ता या कोई व्यक्ति उपरोक्त आरोपों को साबित करने के लिए याचिकाकर्ता से मिला था।

17. श्री गर्ग द्वारा तर्क किया गया है कि द०प्र०सं० की धारा197 में यह अभिनिर्धारित है कि यदि कोई अपराध सरकारी कर्मचारी के आधिकारिक कर्तव्य से जुड़ा है तो सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी अनिवार्य है। वर्तमान प्रकरण में आरोप पत्र दिनांक– 27.05.2022 को संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था और चूंकि आरोप पत्र में मंजूरी आदेश नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ता ने अभियोजन मंजूरी आदेश प्राप्त करने के लिए कानून और विधायी मामलों के मंत्रालय, छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में, आरटीआई) के प्रावधानों को दिनांक 05.12.2022 को एक आवेदन प्रस्तुत किया। दिनांक 29.12.2022 के पत्र के माध्यम से, विभाग ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि उसे जांच एजेंसी से अभियोजन की मंजूरी के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। इसके अलावा, उक्त विभाग ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ता को वांछित जानकारी देने का निर्देश दिया। उक्त पत्राचार के जवाब में, थाना सुपेला के थाना प्रभारी ने दिनांक 28.12.2022 को पत्र के माध्यम से सूचित किया कि द०प्र०सं० की धारा 197 के प्रावधानों के अनुपालन में,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

वर्तमान मामले में अभियोजन मंजूरी से संबंधित कार्यवाही को पृथक रखा गया था। इसलिए, उक्त पत्र से यह पता चलता है कि थाना प्रभारी ने अभियोजन से संबंधित फाइल को सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करने के बजाय, स्वयं इसके साथ आगे नहीं बढ़ने का निर्णय लिया था। सामान्य प्रशासन विभाग (जी. ए. डी.) द्वारा संहिताबद्ध प्रक्रिया के अनुसार आदेश क्रमांक– एफ 1–2/2003/1/6, दिनांक 26.05.2003 सरकारी सेवकों के अभियोजन की मंजूरी के मामलों के संबंध में, विधि और विधायी कार्य विभाग इस पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। इसलिए, वर्तमान प्रकरण में थाना सुपेला दुर्ग के प्रभारी द्वारा ली गई मंजूरी की आवश्यकता के बारे में निर्णय परिपत्र क्रमांक– एफ 1–2/2003/1/6, दिनांक 26.05.2003 जीएडी द्वारा जारी किया गया जिसमें यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि धारा 197 द०प्र०सं० के तहत अभियोजन मंजूरी के संबंध में सक्षम प्राधिकारी विधि एवं विधायी विभाग है, जो सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन से समन्वय करता है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक सरकारी कर्मचारी, एक अपराध का आरोपी है, जो कथित तौर पर उसके द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने के लिए किया गया है, तब द०प्र०सं० की धारा 197 के अनुसार पूर्व मंजूरी आवश्यक है। प्रथम सूचना पत्र में कथित अवैध कार्य का याचिकाकर्ता के आधिकारिक कर्तव्य से सीधा संबंध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है और इसलिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उचित अभियोजन मंजूरी के बिना संज्ञान नहीं लिया जा सकता था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया संज्ञान कानून के तय किए गए सिद्धांतों के विपरीत है। इसलिए, इस माननीय न्यायालय को अभियोजन की मंजूरी के अभाव में कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार प्राप्त है ।

18. श्री गर्ग द्वारा आगे तर्क किया गया है कि भा०द०वि० की धारा 388, 384, 506 के तहत कोई अपराध नहीं बनाया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 388,384,506 के तहत अपराध के तत्वों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों के आलोक में नहीं अधिरोपित किया जा सकता था । वर्तमान प्रकरण में, कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को किसी चोट के डर में डाल दिया था या उसे कोई संपत्ति देने के लिए मजबूर किया हो, इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता ने सीआरएमपी नं. 614/2021, दिनांक 18.06.21 में इस माननीय न्यायालय के समक्ष, अपने आरोपों को रद्द करने के लिए पेश किया था तथा द०प्र०सं० की धारा 313 के तहत थाना महासमुंद के प्रथम सूचना पत्र क्र० 195/2015 में दिनांक 25.03.2023 को संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष अपना परीक्षण भी दर्ज किया गया है। आश्चर्यजनक रूप से, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, किसी भी अवसर पर उन्होंने उक्त प्रथम सूचना पत्र क्रमांक 590/21 में गलत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तरीके से प्रथम सूचना पत्र क्रमांक–195/2015 थाना कोतवाली, जिला महासमुंद में फंसाये जाने का आधार नहीं लिया है। इसके अतिरिक्त, बिना किसी स्पष्टीकरण के छह साल की अस्पष्टीकृत विलंब है। जहां विलंब के कारणों को संतोषजनक रूप से बताए बिना मामले की रिपोर्ट करने में 3 महीने से अधिक समय लगता है, वहां पुलिस अधिकारियों को सही तरीका यह अपनाया जाना चाहिए कि पहले उन्हें प्रारंभिक जांच दर्ज करते हुए प्रथम सूचना पत्र के दर्ज कराये जाने में हुई देरी के संबंध में जांच की जानी चाहिए । हालांकि, वर्तमान प्रकरण में इसका पालन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य की ओर से द्वेष है जिसे विद्वान न्यायाधिकरण के साथ–साथ दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश द्वारा अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. सीआरएमपी क्रमांक– 683/2024 के संबंध में, श्री गर्ग ने तर्क किया है कि प्रथम सूचना पत्र क्रमांक 22/2021 के संदर्भ में याचिकाकर्ता और श्री मणि भूषण के आधिकारिक आवास में दिनांक 01.07.2021 को तलाशी ली गई। जब याचिकाकर्ता के आवास से कुछ भी पर्याप्त साक्ष्य बरामद नहीं हुआ, तो याचिकाकर्ता के आधिकारिक आवास के बाहर स्थित एक स्टॉर्म ड्रेन से कथित रूप से फटे हुए दस्तावेज बरामद किए गए और इसे फिर से व्यवस्थित करने पर उन्हें राजद्रोही प्रकृति का पाया गया। इसके अतिरिक्त, मणि भूषण की स्कूटी से दो किलो सोने की छड़ें बरामद की गईं और उसके पास से एक नारंगी रंग का

लिफाफा बरामद किया गया, जिसमें कथित रूप से राजद्रोही प्रकृति के 10 पन्ने थे। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार मणि भूषण से बरामद इन 10 पृष्ठों की कथित राजद्रोही प्रकृति की सामग्री याचिकाकर्ता के घर के बाहर बड़े नाले से बरामद फटे पृष्ठों से मेल खाती है। इसलिए, प्रथम सूचना पत्र क्रमांक 22/2021 से जुड़ी तलाशी कार्यवाही के संबंध में कथित राजद्रोही सामग्री की बरामदगी के आधार पर ए. सी. बी. द्वारा दर्ज प्रथम सूचना पत्र क्रमांक 0134/2021 को दिनांक 08.07.2021 को आरक्षी केंद्र कोतवाली रायपुर में याचिकाकर्ता के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 124 (ए) और 153 (ए) के तहत दर्ज किया गया था । कथित दस्तावेज, जिनके बारे में कहा जाता है कि स्टॉर्म ड्रेन से बरामद किए गए हैं, उन्हें दिनांक 18.08.2021 के आरोप पत्र के साथ संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष कभी पेश नहीं किया गया था और इस तरह के दस्तावेज के बिना, विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया है। श्री मणि भूषण ने दिनांक 05.01.2024 को अपने साक्ष्य में प्रथम सूचना पत्र क्रमांक– 22/2021 के संबंध में कहा है कि उसके पास से ऐसा कोई नारंगी लिफाफा बरामद नहीं किया गया था और 10 पृष्ठों पर कथित हस्ताक्षर भी उसके नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. इसके बाद यह तर्क किया गया है कि विभागीय जांच कार्यवाही में ए०सी०बी० के द्वारा साक्ष्य की अनुपलब्धता को स्वीकार किया गया है । ए.सी.बी. द्वारा

प्रथम सूचना पत्र क्रमांक 22/2021 में एकत्र किए गए साक्ष्य/दस्तावेजों के आधार पर ही दिनांक 12.08.2021 को याचिकाकर्ता के विरूद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की गई तथा उसके विरूद्ध उसी प्रकृति के आरोप विरचित किये गये हैं । विभागीय जांच पत्र के आरोप क्रमांक 2 व 3 में यह आरोपित किया गया है कि याचिकाकर्ता ने अपने अधिकारिक निवास का दरवाजा 45 मिनट की देरी से खोला तथा इस अवधि के दौरान, सामग्री साक्ष्य/दस्तावेज नष्ट कर दिए गए और उन्हें याचिकाकर्ता के आवास के बाहर फेंक दिया गया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 16.02.2024 और दिनांक 26.02.2024 के पत्र के माध्यम से विभागीय आरोप पत्र में अपना जवाब प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार, गृह विभाग ने दिनांक 18.03.2024 के अपने पत्र के माध्यम से एसीबी/एओडब्ल्यू से विस्तृत टिप्पणी मांगी थी। एसएसपी ए.सी.बी./ई.ओ.डब्ल्यू. ने दिनांक 21.05.2024 के अपने पत्र के माध्यम से गृह विभाग को अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसमें उसने स्वीकार किया है किः– (i) याचिकाकर्ता के आवास पर छापे की कार्यवाही के ए.सी.बी. द्वारा की गई वीडियोग्राफी से, याचिकाकर्ता द्वारा फेंके गए दस्तावेजों के फटे टुकड़ों जैसे सबूतों को नष्ट करने के बारे में तथ्य आदि सत्यापित नहीं हैं।(ii) याचिकाकर्ता के घर के बाहर बरसाती नाले से बरामद दस्तावेजों के फटे टुकड़े अप्रमाणित हैं। 45 मिनट की देरी के संबंध में अभियोजन की पूरी कहानी जिसमें

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता को कथित राजद्रोही सामग्री के फटे हुए टुकड़े फेंकते हुए देखना गलत है और यह स्पष्ट करता है कि उक्त फटे हुए टुकड़े तलाशी दल के द्वारा ही रखे गए थे । इस तथ्य की पुष्टि श्री मणि भूषण के साक्ष्य से भी होती है जिन्होंने विशेष न्यायाधीश एसीबी रायपुर के प्रकरण क्रमांक 1/2022 में विचारण न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता को झूठे मामले में फंसाने के लिए एजेंसी के दुर्भावनापूर्ण और मनमाने आचरण का खुलासा किया। फटे टुकड़ों की कथित बरामदगी, जिसके आधार पर आक्षेपित प्रथम सूचना पत्र दर्ज की गई थी और आरोप पत्र दायर करने के बाद संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया था, को कभी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया था और मूल दस्तावेजों के बिना याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक अभियोजन शुरू किया गया है। यह तथ्य तब सामने आया जब याचिकाकर्ता ने दिनांक 03.05.2024 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर के समक्ष फटे टुकड़ों की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे संबंधित अदालत ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि मूल रिकॉर्ड आरोप पत्र के साथ संलग्न नहीं है। इसलिए, फोटोकॉपी की प्रमाणित प्रति नियमों के अनुसार प्रदान नहीं की जा सकती है। इसके बाद यह तर्क किया गया है कि आरोप पत्र की सामग्री भा०द०वि० की धारा 19 124 ए, 153 ए और 505 (2) के तहत सामग्री का गठन नहीं करती हैः पूरे आरोप पत्र की सामग्री से, आईपीसी की धारा 124 ए,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

153ए और 505 (2) के तहत अपराध का गठन करने वाले तत्व गायब हैं। इसके अलावा, भले ही हम यह मान लें कि अभियोजन पक्ष की शरारतपूर्ण व्याख्या सही है, तथापि कानून के स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, कथित दस्तावेज उन तत्वों को पूरा करते हैं जो भा०द०वि० की धारा 124ए, 153ए और 505 (2) के तहत अपराध करने के लिए आवश्यक हैं। अभियोजन की मंजूरी भी सही नहीं है जैसा उपरोक्तानुसार बताया गया है । उपरोक्त के अलावा, दुर्भावना भी प्रथम सूचना पत्र और उससे उत्पन्न होने वाली आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने वाले आधारों में से एक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. अपनी दलीलों के समर्थन में श्री गर्ग ने केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा जताया है {एआईआर 1962 एससी 955, पैरा 15 और 24 से 29}, हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, {1992 Supp (1) SCC 335, पैरा 102}, बिलाल अहमद कालू विरूद्ध आंध्र प्रदेश राज्य {(1997) 7 एससीसी 431, पैरा 10,11,12.15 और 24}, मोहम्मद इब्राहिम बनाम बिहार राज्य, {(2009) 8 एस. सी. सी. 751, पैरा 10 से 13,16 और 17}, राधेश्याम केजरीवाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्न. (2011) 3 एस. सी. सी. 581, पैरा 26,29,38 (vi) & 39}, इसाक इसंगा मुसुम्बा और अन्य बनाम महाराष्ट्र

राज्य, {(2014) 15 SCC 357, पैरा 3 & 7}, डी०टी० विरूपाक्षप्पा बनाम सी. सुभाष, {(2015) 12 एस. सी. सी. 231, पैरा 7 और 8}, डी. देवराज बनाम उवैस साबिर हुसैन, {(2020) 7 SCC 695, पैरा 68,69,72,73 और 74}, अहमद अली कुरैशी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य {(2020) 13 SCC 435, पैरा 13 से 19}, हसमुखलाल डी. वोरा बनाम तामिलनाडू राज्य {(2022) 15 एस. सी. सी. 164, पैरा 23 से 27}, श्री सुखबीर सिंह बादल बनाम बलवंत सिंह खेड़ा और अन्य। {2023 SCC ऑनलाइन SC 522, पैरा 43 और 44 से 47}, पुष्पेंद्र कुमार सिन्हा बनाम झारखंड राज्य, {(2023) 11 SCC 636, पैरा 27}, महमूद अली और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य {2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 950, पैरा 11,13,14 और 15}, दिनांक 30.04.2024 का आदेश विद्वत अधिकरण, नई दिल्ली पीठ द्वारा ओ. ए. सं. 2440/2024 {पैराग्राफ 24 से 30} और 23.08.2024 का निर्णय WP (C) No. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 10703/2024 (पैरा 37,38 और 39). श्री गर्ग अंत में तर्क किया है कि उपरोक्त तर्कों और अभिवचनों को ध्यान में रखते हुए, सभी तीन प्रथम सूचना पत्रों, आरोप पत्र, आरोप–पत्र तैयार करने का आदेश और परिणामी आपराधिक कार्यवाही को रद्द किये जाने का निवेदन किया है । तथा तीनों याचिकाओं में मांगे गए अनुतोष को दिये जाने की प्रार्थना की है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. इसके विपरीत, राज्य/प्रतिवादीगणों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार सीआरएमपी क्रमांक 1488/2023 में तर्क किया है कि दिनांक 27.07.2021 को शिकायतकर्ता/प्रतिवादी क्रमांक 5 से जबरन वसूली के आरोपों पर याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस चौकी स्मृति नगर, भिलाई में एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत पुलिस चौकी, स्मृति नगर द्वारा दिनांक 27.07.2021 को अपराध क्रमांक. 0/2021, जिसे दिनांक 28/07/2021 को संबंधित क्षेत्राधिकार के पुलिस थाना सुपेला जिला दुर्ग को स्थानांतरित कर दिया गया था । जिसके अनुसार दिनांक 28.07.2021 को याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध क्रमांक. 590/2021 भा०द०वि० की धारा 388, 506 सहपठित धारा 34 के तहत दंडनीय कथित अपराधों के लिए प्रथम सूचना पत्र दर्ज की गई । उक्त अपराध में जांच की जा रही है तथा जांच के दौरान शिकायतकर्ता सहित अन्य साक्षियों के बयान दर्ज किये गये हैं । संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी बयान दर्ज किए गए हैं और यह भी केस डायरी का हिस्सा है। बयान दर्ज करने पर, यह पता चला कि भा०द०वि० की धारा 384 के तहत अपराध के लिए आधार भी मौजूद हैं, जिसके अनुसार भा०द०वि० की धारा 384 को कथित अपराधों में जोड़ा गया था । जिसके लिए दिनांक 13.09.2021 को विवेचना की जा रही है। शिकायतकर्ता, उसकी पत्नी और अन्य गवाहों के बयान से स्पष्ट है कि उन्होंने

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

याचिकाकर्ता को 20 लाख रूपये की राशि का भुगतान किया है । राशि की व्यवस्था करने के संबंध में एक मनी ट्रेल है, जो प्रथम दृष्ट्या विवेचना के इस स्तर पर याचिकाकर्ता के विरूद्ध प्रथम सूचना पत्र में आरोपित आरोपों की संपुष्टि एवं समर्थन करता है । शिकायत का केवल अवलोकन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा कि उक्त शिकायत में ऐसे आधार हैं, जो याचिकाकर्ता के खिलाफ एक संज्ञेय अपराध बनाते हैं और उक्त तथ्य के कारण ही प्रथम सूचना पत्र विधि अनुसार दर्ज की गई है । याचिकाकर्ता ने सभी प्रकार के गलत और तुच्छ आरोप लगाए हैं, जिन्हें याचिकाकर्ता का बचाव कहा जा सकता है, लेकिन फिर याचिकाकर्ता की ओर से उक्त बचाव को कार्यवाही/जांच के समय माननीय न्यायालय द्वारा नहीं देखा जा सकता है। आपराधिक प्रकरणों में पंजीयन के पश्चात जांच एजेंसी का विशेषाधिकार है कि उस जांच को किस तरीके से किया जाना है। यह सुस्थापित विधि है कि आरोपी को पुलिस द्वारा की गई जाँच एवं उसके तरीके को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है ।

23. श्री अखिलेश ने आगे तर्क में कहा है कि प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने के बाद पुलिस ने द०प्र०सं० की धारा 161 के तहत शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों का बयान दर्ज किये हैं और उचित जांच के बाद वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाये जाने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत अंतिम प्रतिवेदन क्रमांक 334/2022 दिनांक 23.05.2022

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अंतर्गत धारा 388, 384, 506 एवं 34 भा०द०वि० के संबंध में याचिकाकर्ता के विरूद्ध विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता के खिलाफ उपरोक्त अपराधों का आधार उपलब्ध है । उनकी ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्रिमिनल अपील नंबर 1025–1026/2023 (@SLP (CRL.) Nos.12794–12795 of 2022) केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम आर्यन सिंह वगैरह और हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल (ए. आई. आर. 1992 सुप्रीम कोर्ट 604), मेसर्स निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. बनाम महाराष्ट्र राज्य (ए. आई. आर. 2021 एस. सी. 1918), तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी एवं अन्य (2017) 2 एस. सी. सी. 779) पर विश्वास व्यक्त किया है एवं याचिका को खारिज करने के लिए प्रार्थना की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. जहां तक सीआरएमपी क्रमांक–2747/2023 का संबंध है, श्री अखिलेश कुमार ने तर्क किया है कि याचिकाकर्ता ने द०प्र०सं० की धारा 482 के तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए इस माननीय न्यायालय से अनुतोष चाहा है । किंतु याचिकाकर्ता के द्वारा दुर्भावनापूर्ण मंशा से उक्त प्रकरण में विचारण को विलंबित तथा दूषित करने के उद्देश्य से यह गलत तर्क किया है कि राज्य/प्रतिवादी के द्वारा धारा 207 द०प्र०सं० का पालन नहीं किया गया । याचिकाकर्ता का इस याचिका को प्रस्तुत करने का संपूर्ण उद्देश्य विशेष

अपराधिक प्रकरण क्रमांक–1/2022 जो विशेष न्यायालय रायपुर के समक्ष लंबित है, को विलंबित करना है । याचिकाकर्ता के खिलाफ दिनांक 08.03.2022 को अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था एवं केंद्र सरकार से दिनांक 19.09.2022 को अभियोजन स्वीकृति प्राप्त हुई थी । आरोप पत्र दिनांक 08.03.2022 को दाखिल किए जाने के बाद, उसकी संपूर्ण प्रति याचिकाकर्ता को विधिवत प्रदान की गई थी, जिस पर याचिकाकर्ता ने कोई आपत्ति नहीं जताई और बिना किसी आपत्ति के उसे स्वीकार कर लिया। द०प्र०सं० की धारा 207 के गैर अनुपालन के संबंध में याचिकाकर्ता ने कोई आपत्ति तब तक नहीं उठाई, जब तक प्रकरण आरोप विरचन के लिए नियत किया गया । इस दौरान, याचिकाकर्ता आरोप पत्र की आपूर्ति और द०प्र०सं० की धारा 207 के अनुपालन में प्राप्त दस्तावेजों से संतुष्ट था। यह याचिका कार्यवाहियों की श्रृंखला की एक कड़ी है जो इस माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 19.07.2023 जो डब्ल्यूपी (227) क्रमांक 191/2023 एवं डब्ल्यूपी (227) क्रमांक 223/2023 से उत्पन्न है। याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों पर माननीय न्यायालय द्वारा विधिवत विचार किया गया और उनका विधिवत निराकरण पूर्ण रूप से किया गया है । याचिकाकर्ता ने पुनः द०प्र०सं० की धारा 207 के तहत आवेदन विचारण न्यायालय की कार्यवाहियों को रोकने तथा आरोप निर्धारण को स्थगित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किये हैं । इसी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उद्देश्य से द०प्र०सं० की धारा 207 के तहत एक नया आवेदन याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 04.08.2023 को विद्वान विशेष न्यायालय रायपुर में पेश कर आरोप निर्धारण का स्थगित करने की प्रार्थना की गई थी । याचिकाकर्ता के खिलाफ दिनांक 04.08.2023 को आरोप तय किए गए थे और मामले को गवाहों के साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने के लिए नियत किया गया । याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पहले ही दिनांक 04.08.2023 के आदेश के माध्यम से विरचित किये जा चुके हैं तथा याचिकाकर्ता के द्वारा आरोप विरचन को कोई चुनौती नहीं दिये जाने से वह आदेश अंतिमता का प्राप्त हो गया है । इसके अतिरिक्त, प्रकरण में विचारण प्रारंभ हो गया है तथा कई साक्षियों का परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण किया जा चुका है । याचिकाकर्ता के पास पहले से ही आरोप पत्र की पूरी प्रति है और याचिकाकर्ता के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं है क्योंकि उसने पहले से ही उसके पास उपलब्ध आरोप पत्र के साथ–साथ न्यायालय में दायर आरोप पत्र के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आरोप पर तर्क किया है तथा धारा 207 द०प्र०सं० का अभियोजन द्वारा कड़ाई से पालन किया गया है । इस तथ्य के आलोक में कि विचारण पहले ही प्रारंभ हो चुका है और याचिकाकर्ता विचारण में भाग ले रहा है । वर्तमान याचिका विचारण को आगे बढ़ने से रोके जाने के दुर्भावनापूर्ण मंशा से प्रस्तुत की गई है, जिसे न्याय के उद्देश्य के लिए निरस्त किया जाये । याचिकाकर्ता ने पहले ही इस माननीय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.08.2023 के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार करते हुए सीआरएमपी क्रमांक 1895/2023 के रूप में दर्ज किया गया । जिसमें राज्य/प्रतिवादी ने प्रारंभिक आपत्ति में यह आधार लिया है कि उसी बिंदु पर एक ही कारण पर द्वितीय याचिका रेस जुडीकाटा के सिद्धांत पर प्रचलन योग्य नहीं है तथा इसी एक मात्र आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

25. जहां तक सीआरएमपी क्रमांक 683/2024 का संबंध है, श्री अखिलेश कुमार, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने तर्क किया है कि शिकायतकर्ता मोहसिन खान, प्रभारी पुलिस स्टेशन, कोटवाली, रायपुर द्वारा की गई लिखित शिकायत के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम सूचना पत्र दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना पत्र दर्ज होने के बाद, जांच एजेंसी ने मामले में जांच की और एकत्रित साक्ष्य और दस्तावेजों सहित न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया, जो प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता द्वारा कथित अपराध किए जाने को स्थापित करता है। द०प्र०सं० की धारा 154 में यह प्रावधानित है कि संज्ञेय अपराध करने के संबंध में सूचना को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा लिखित रूप से दर्ज किया जाएगा, इसलिए, थाना कोतवाली, जिला रायपुर (छ०ग०) के संबंधित थाना प्रभारी द्वारा संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया । यह शायद ही उक्त

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पुलिस अधिकारी को कोई विवेकाधिकार देता है। ऐसे अधिकारी पर दोहरी बाध्यता यह है किः– (क) उसे ऐसी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, और (ख) निर्धारित के अनुसार उसी को दर्ज करना चाहिए। धारा 154 द०प्र०सं० की भाषा अधिकारी पर इस तरह के अनिवार्य दायित्व को लागू करती है। इस प्रावधान का उद्देश्य यह है कि प्रभारी अधिकारी को प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर तुरंत जांच करनी चाहिए । अपराध दर्ज होने के बाद, जांच एजेंसी द्वारा मामले में जांच की गई एवं विचारण न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने से पहले, प्रतिवादी अधिकारियों ने साक्ष्य और दस्तावेजों के साथ कानून और विधायी मामलों के विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष प्रस्ताव दिया, जिसमें, साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात विधि एवं विधायी विभाग छत्तीसगढ़ राज्य ने द०प्र०सं० की धारा 196 (1) के प्रावधानों के अनुपालन में याचिकाकर्ता के खिलाफ दिनांक 18.08.2021 को अभियोजन के लिए मंजूरी दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेकों न्यायदृष्टांतों मे यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय द्वारा विवेचना में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह पुलिस अधिकारियों के पास निहित जांच शक्ति में हस्तक्षेप के बराबर होगा। जहां तक शासन के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग का प्रश्न है, यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि शक्तियों के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग का प्रश्न आरोप पत्र दायर होने के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में मामले की जांच चल रही है, इसलिए, शासन के दुर्भावनापूर्ण मंशा के आरोप पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है। अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दाखिल करने के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों और अभिलेखों की मिमांशा करने के बाद, मामले में संज्ञान लेते हुए इसे स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडनीय अपराध के लिए भा०द०वि० की धारा 124 (ए) और 153 (ए) के तहत आरोप विरचित किये गये । इसके बाद, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आगे की कार्यवाही शुरू की गई है, जो विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण लंबित है। चूंकि आरोप पत्र दायर किया गया है और आपराधिक प्रकरण क्रमांक 6952/2021 दिनांक 23.08.2021 विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष पंजीकृत किया गया है तथा विचारण न्यायालय में विचारण लंबित है । अतः इस स्तर पर याचिकाकर्ता के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत पेश करने के लिए एक वैकल्पिक और प्रभावी उपाय है, इसलिए, याचिकाकर्ता को उपलब्ध उपरोक्त उपाय को देखते हुए वर्तमान याचिका प्रचलनीय नहीं होने से खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है । प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत उ़डिसा राज्य एवं अन्य विरूद्ध उज्ज्वल कुमार बर्धन (2012)4 SCC 547, माधवराव जीवाजीराव सिंधिया बनाम संभाजीराव चंदरोजीराव आंग्रे ((1988) 1 SCC 692) पर विश्वास

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया गया है ।

26. प्रतिवादी क्रमांक 5/शिकायतकर्ता {सीआरएमपी क्रमांक 1488/2023} की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय अग्रवाल, ने तर्क किया है कि प्रतिवादी/शिकायतकर्ता ने थाना सुपेला, जिला दुर्ग के समक्ष याचिकाकर्ता और अन्य आरोपी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके आधार पर वर्तमान याचिकाकर्ता और अन्य आरोपियों के खिलाफ भा०द०वि० की उपरोक्त धाराओं के तहत एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज की गई है । नियमानुसार, प्रतिवादी–पुलिस अधिकारी कानून के अनुसार प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने के लिए बाध्य हैं और इसमें कोई अवैधता नहीं है तथा यह नियमानुसार किया गया है । प्रथम सूचना पत्र दर्ज होने के बाद, मामले की विधिवत जांच की गई है और मामले में उचित जांच के बाद, संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सक्षम अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया है। पुलिस ने प्रतिवादी/शिकायतकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता और अन्य आरोपी व्यक्ति के खिलाफ उनके द्वारा किए गए संज्ञेय अपराध का खुलासा करने पर की गई लिखित शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया है । सीआरएमपी की धारा 482 के तहत माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का दायरा सीमित है और निर्णय के आधार पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि प्रथम दृष्टया प्रथम सूचना पत्र, अपराध करने का खुलासा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करती है, तो माननीय न्यायालय को जाँच के स्तर पर प्रथम सूचना पत्र को रद्द करने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए । आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि किसी अपराध का खुलासा किया जाता है, तो न्यायालय सामान्य रूप से मामले की जांच में हस्तक्षेप नहीं करेगा और कथित अपराध की जांच पूरी करने की अनुमति देगा और यदि प्रथम सूचना पत्र, प्रथम दृष्टया, किसी अपराध के होने का खुलासा करती है, तो न्यायालय सामान्य रूप से जांच को नहीं रोकेगा, क्योंकि ऐसा करना संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए पुलिस की वैध शक्ति को कम करना होगा, इसलिए, इस प्रारंभिक चरण में, याचिकाकर्ता को प्रथम सूचना पत्र को रद्द करने का अनुतोष प्रदाननहीं किया जा सकता है । प्रथम सूचना पत्र को निरस्त करना या आरोप तय करना एक असाधारण अधिकारिता है और माननीय न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग केवल ऐसे मामले में किया जा सकता है जहां; (i) इस संहिता के तहत किसी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए; (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या, (iii) अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अमीश देवगन बनाम भारत संघ और अन्य, {2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 994} के मामले में कानून की उक्त पूर्व स्थिति को दोहराया है। जाँच एजेंसी द्वारा मामले में उचित जाँच के बाद,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारण न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिकाकर्ता सहित अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध विधिवत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विचारण प्रारंभ हो गया है और यदि याचिकाकर्ता इससे व्यथित है, तो याचिकाकर्ता को आरोप तय करने की ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उपयुक्त पुनरीक्षण दायर करके इसे चुनौती देने का अधिकार है। वर्तमान याचिका विचारण प्रारंभ होने के बाद अत्यधिक विलंबित से प्रस्तुत की गई है तथा याचिकाकर्ता के पास वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हैं । ऐसे में यह याचिका विचारणीय नहीं है । इसके अलावा, याचिकाकर्ता अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष अपना बचाव बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। अतः याचिकाएं खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

27. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया, संलग्न अभिवचनों और दस्तावेजों का अवलोकन किया गया ।

28. इस न्यायालय द्वारा, इन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए, इस आशय का अंतरिम आदेश दिया गया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आक्षेपित प्रथम सूचना पत्र के अनुसार आगे की आपराधिक कार्यवाही सीआरएमपी क्रमांक–1488/2023 आदेश दिनांक 01.05.2024 एवं सीआरएमपी क्रमांक 683/2024 आदेश दिनांक 10.05.2024 । किंतु सीआरएमपी क्रमांक 2747/2023 के संबंध में कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया था ।

29. इन याचिकाओं में शामिल मुद्दे को कम करने के लिए, तीन याचिकाओं का सार यह है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ तीन प्रथम सूचना पत्र दर्ज की गई हैं, उक्त प्राथमिकियां दूसरे राजनीतिक दल के सत्ता में आने के बाद दर्ज की गई हैं। पीसी अधिनियम की धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (बी) के तहत अपराध के लिए पहली प्राथमिकी 29.06.2021 को दर्ज की गई थी। दूसरी एफआईआर नं. 0134/2021 को कथित रूप से बरसाती नाले से बरामद कटे–फटे पन्ने, जिसमें राजद्रोही सामग्री की कथित बरामदगी के आधार पर भा०द०वि० की धारा 124 (ए) और 153 (ए) के तहत थाना कोतवाली रायपुर में दर्ज किया गया था। तीसरी प्राथमिकी दिनांक 28.07.2021 को कमल कुमार सेन द्वारा भा०द०वि० की धारा 388, 506 और 34 के तहत लगभग 6 साल के अंतराल के बाद दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता उस मामले के विवेचना अधिकारी को समय के भीतर आरोप पत्र दायर करने की अनुमति नहीं देकर डिफ़ॉल्ट जमानत पर बाहर निकलने में उसकी मदद करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. दिनांक 12.08.2021 को उन्हीं तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर, जो आपराधिक मामले में आरोपों के आधार थे, विभागीय आरोप पत्र जारी किया गया था । तीन साल से अधिक समय बीतने के बाद भी आज तक किसी जांच अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जा सकी है। जब विभागीय जांच को इसके

तार्किक निष्कर्ष पर नहीं ले जाया जा सका, तो दंड देने के लिए, याचिकाकर्ता को दिनांक 30.07.2023 के आदेश द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। उक्त आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा विद्वत अधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसे स्वीकृत किया जाकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। विद्वान अधिकरण ने निम्नानुसार टिप्पणी की है–

> "45. ऊपर वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी राय है कि आवेदक को दंडात्मक उपाय के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है। हम यह भी पाते हैं कि विभागीय जांच से बचने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को एक शॉर्टकट के रूप में पारित किया गया है। आवेदक को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने वाले विवादित आदेश को कानून की नजर में कायम नहीं रखा जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. उपरोक्त से, यह प्रतीत होता है कि राज्य न्यायाधिकरण के समक्ष भी अपना मामला स्थापित नहीं कर सका क्योंकि उसके पास याचिकाकर्ता के खिलाफ अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सामग्री नहीं थी। राज्य सरकार ने दिनांक 28.05.2024 को केंद्र सरकार को संबोधित पत्र के माध्यम से न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता की बहाली की सिफारिश की। ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन करने के बजाय, केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती दी, लेकिन इसे 23.08.2024 के

फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के प्रासंगिक भाग को उद्धृत करना फायदेमंद होगा जो निम्नानुसार हैः–

37. यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि तीन अन्य आईपीएस अधिकारी जिनके खिलाफ प्रतिवादी नंबर 1 के साथ जांच शुरू की गई थी, उनके नाम किसी न किसी कारण से हटा दिए गए थे, लेकिन प्रतिवादी नंबर 1 को उन अपराधों के लिए शामिल किया गया है जिनकी पुष्टि भी नहीं होती है।

38. यह न्यायालय अब प्रत्यर्थी संख्या. 1 के विरुद्ध दर्ज अन्य प्राथमिकियों की जांच करने के लिए अग्रसर है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. दिनांक 29.06.2021 को, एंटी–करप्शन ब्यूरो/ईओडब्ल्यू ने प्रतिवादी क्रमांक 1 के खिलाफ कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (बी) सहपठित धारा 13 (2) के तहत एफआईआर नंबर 22/2021 दर्ज की, जो कि एसबीआई अधिकारी मणि भूषण की सहायता के लिए उक्त प्रतिवादी के आवास पर की गई छापेमारी के अनुसार है, जिसे सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद आरोपी भी नहीं बनाया गया था। इस वसूली के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (2) के तहत कार्यवाही भी शुरू की गई थी। वास्तव में, दिनांक 03.01.2024 के अपने समन के जवाब में, मणि भूषण

ने दिनांक 16.01.2024 के जवाब में कहाः–

"उपरोक्त उद्धृत नोटिस के संदर्भ में मैं यह बताना चाहता हूं कि मुझे शंकर नगर, रायपुर में एसबीआई कॉलोनी में खड़ी मेरी स्कूटी से 2 किलो सोने के बुलियन की बरामदगी के संबंध में आयकर कार्यालय रायपुर में 30.15.11.2021 को मेरे बयान से संबंधित 10.01.2024 को पेश होने के लिए नोटिस दिया गया था। उपरोक्त नोटिस के जवाब में मैंने विद्वान एडीजे–1, जिला न्यायालय, रायपुर के समक्ष दिनांक 05.01.2024 को प्रतिपरीक्षा के दौरान अपना सत्य बयान संलग्न किया है, जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कैसे मुझे झूठे एफआईआर में फंसाने की धमकी दी गई थी और जी पी सिंह को झूठे मामले में फंसाने के लिए जबरन गवाह बनने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की यातनाएं दी गई थी। उपरोक्त यातनाएं केवल मेरे तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि मेरे पूरे परिवार को दी गई थी । यह उल्लेख करना उचित होगा कि चूंकि मेरी स्कूटी जहां उक्त सोने के बुलियन लगाए गए थे, एक ऐसे क्षेत्र में खड़ी थी जहां सीसीटीवी निगरानी की गई थी, इसलिए इन सोने के बुलियन लगाने का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कार्य उक्त कॉलोनी में स्थापित सीसीटीवी प्रणाली के उक्त डीवीआर में कैद हो गया था। ए. सी. बी. के अधिकारियों को जब पता चला कि उनकी हरकत सी. सी. टी. वी. फुटेज में कैद हो गई है तो वे जप्ती की कोई रसीद दिए बिना बैंक गार्ड से उक्त डी. वी. आर. को जबरन ले गए। मेरी समझ के अनुसार, बाद में बैंक गार्ड द्वारा उपरोक्त जब्ती की रसीद देने के आग्रह पर, ए. सी. बी. के अधिकारियों ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत दस्तावेजों का पता लगाया कि हार्ड डिस्क के साथ उक्त डी. वी. आर. बैंक गार्ड को वापस कर दिया गया था। एस. बी. आई. के प्रशासनिक कार्यालय ने इन तथ्यों को जानने पर ए. सी. बी. के निदेशक को एक पत्र भेजकर उस हार्ड डिस्क की रसीद प्रस्तुत करने के लिए कहा जिसे ए. सी. बी. के अधिकारियों को गुप्त रूप से ले जाया गया था और वापस नहीं किया गया था। यह हार्ड डिस्क महत्वपूर्ण और स्पष्ट सबूत है जो मेरी स्कूटी से इस 2 किलो सोने के बुलियन की वसूली की सच्चाई को उजागर करेगा। वास्तव में मैं भी ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू. छत्तीसगढ़ के अधिकारियों की इस पूरी आपराधिक साजिश का शिकार हूं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वास्तव में, मणि भूषण द्वारा दिए गए उपरोक्त बयान और आरोपों के सत्यापन के अनुसार, प्रतिवादी क्रमांक 1 के विरूद्ध कार्यवाहियों को बंद कर दिया गया था ।

II. राजद्रोही सामग्री के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860 की धारा 124 ए, 153 ए, 505 (2) के तहत 08.07.2021 को दर्ज प्रथम सूचना पत्र क्रमांक–34/2021 के संबंध में; मणि भूषण के बयान और उनकी प्रतिपरीक्षा के अनुसार यह पता चला कि प्रतिवादी क्रमांक 1 से कोई राजद्रोही सामग्री की बरामदगी नहीं हुई थी। अधिकरण ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया कि यह एफ. आई. आर. प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के विरुद्ध राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों के कहने पर दर्ज की गई थी क्योंकि उसने दबाव की रेखा का पालन नहीं किया था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

III. एक घटना पर भा०द०वि० 1860 की धारा 384,388 और 506 सहपठित धारा 34 के तहत 28.07.2021 को दर्ज प्राथमिकी संख्या 590/2021 के संबंध में, न्यायाधिकरण ने कहा कि शून्य प्राथमिकी छह साल पहले कथित घटना के बाद दर्ज की गई थी और प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के लिए कोई

स्पष्टीकरण नहीं है।

39. यहां यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त तीनों प्राथमिकियों की कार्यवाही पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी और परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना, याचिकाकर्ता द्वारा विभागीय कार्यवाही के समापन की प्रतीक्षा किए बिना प्रतिवादी क्रमांक 1 के विरूद्ध एक संक्षिप्त कार्यवाही के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया गया था। तदनुसार, अधिकरण ने ठीक ही कहा है कि सक्षम आपराधिक न्यायालय आपराधिक मामले का निर्णय अपनी योग्यता के आधार पर स्वतंत्र रूप से कर सकता है और ऐसा मानते हुए, उसने प्राथमिकियों के संबंध में गुण–दोष पर टिप्पणियां करने से खुद को दूर रखा है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

40. निर्णायक बात यह है कि तीन वर्ष की विलम्ब के बावजूद, विभागीय कार्यवाहियों में जांच अधिकारी की भी नियुक्ति नहीं की गई और विद्वत अधिकरण ने आक्षेपित निर्णय में इस तथ्य पर गंभीरता से ध्यान दिया है, जो हमारी राय में वर्तमान मामले के तथ्यों में न्यायसंगत और उचित है। याचिकाकर्ता प्रतिवादी क्रमांक 1 के सेवा रिकॉर्ड में कुछ भी प्रतिकूल नहीं दिखा पाए हैं। विभिन्न प्राथमिकियां दर्ज करना, मणि भूषण से उनके परिसरों पर की गई छापेमारी के बाद की गई कथित बरामदगी पर आधारित है। एसबीआई अधिकारी मणि भूषण के बयान के आलोक में, प्रतिवादी

क्रमांक 1 के खिलाफ आरोप, इतने स्पष्ट नहीं हैं कि प्रतिवादी क्रमांक 1 की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया जाये ।

41. वर्तमान मामले के तथ्यों की समग्रता का अवलोकन करने के बाद, हमारे मत में विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30.04.2024 में कोई विसंगति या त्रुटि नहीं है, और इस प्रकार, वर्तमान याचिका और लंबित आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं।

32. सर्वोच्च न्यायालय ने बिलाल अहमद कालू (उपर्युक्त) में निम्नलिखित टिप्पणी की है–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"10. धारा 153 ए को आपराधिक और चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम 1969 (अधिनियम क्रमांक 35/1969) इसमें तीन खंड शामिल हैं जिनमें से खंड (ए) और (बी) इस मामले में सुसंगत हैं । उसी संशोधन अधिनियम द्वारा उपधारा (2) को भारतीय दंड संहिता की धारा 505 में जोड़ा गया था। धारा 153 ए और धारा 505 (2) के खंड (ए) और (बी) निम्नानुसार प्रावधानित करते हैः

153 – ए. धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना। – (1) जो कोई भी–(क) धर्म, वंश, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति या

समुदाय या किसी अन्य आधार के आधार पर, बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य अभ्यावेदन द्वारा या अन्यथा, विभिन्न धार्मिक, जातीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच वैमनस्य या शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने का प्रयास करता है, या

(ख) कोई ऐसा कार्य करता है जो विभिन्न धार्मिक, जातीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल है, और जो सार्वजनिक शांति को बाधित करता है या बाधित करने की संभावना है, या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ग) * * *

को कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

* * *

505 (2) वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले कथन – जो कोई भी धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय या किसी अन्य आधार पर विभिन्न धार्मिक, जातीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या

समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को पैदा करने या बढ़ावा देने के इरादे से अफवाह या खतरनाक समाचार वाला कोई बयान या रिपोर्ट बनाता है, प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से।

दोनों अपराधों में आम घटक विभिन्न धार्मिक या नस्लीय या भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावना को बढ़ावा देना है। धारा 153 ए एक ऐसे मामले को शामिल करती है जहां एक व्यक्ति "शब्दों द्वारा, या तो बोले गए या लिखित, या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा" ऐसी भावना को बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने का प्रयास करता है। धारा 505 (2) के तहत ऐसी भावना का प्रचार अफवाह या खतरनाक समाचार वाले किसी भी बयान या रिपोर्ट को बनाकर और प्रकाशित करके या प्रसारित करके किया जाना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इस न्यायालय ने बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1995.3 एस. सी. सी. 214) मामले में अभिनिर्धारित किया है कि धारा 153 क के अधीन अपराध के लिए पुरुष अधिकार एक आवश्यक घटक है। मेन्स रिया धारा 505 (2) के तहत अपराध के लिए एक

समान रूप से आवश्यक अभिधारणा है जिसे उस उप–धारा में उपयोग किए गए "बनाने या बढ़ावा देने के इरादे से या जो बनाने या बढ़ावा देने की संभावना है" शब्दों से भी समझा जा सकता है।

12. दोनों अपराधों के बीच मुख्य अंतर यह है कि हालांकि पूर्व के तहत शब्दों या प्रतिनिधित्व का प्रकाशन आवश्यक नहीं है, लेकिन ऐसा प्रकाशन धारा 505 के तहत अनिवार्य है। धारा 505 (2) की स्थापना में उपयोग किए गए शब्दों "जो कोई भी बनाता है, प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है" की व्याख्या अलग–अलग नहीं की जा सकती है, लेकिन केवल एक दूसरे के पूरक के रूप में की जा सकती है। यदि इसका असंगत रूप से अर्थ लगाया जाता है, तो कोई भी व्यक्ति जो धारा 505 के अर्थ के भीतर आने वाला बयान देता है, वह प्रकाशन या प्रसार के बिना, दोषसिद्धि के लिए उत्तरदायी होगा। लेकिन धारा 153 ए के साथ भी यही प्रभाव पड़ता है और फिर वह धारा अतिरेक के लिए खराब होती। एक ही विषय पर दो अलग–अलग खंड प्रदान करने में विधायिका का इरादा समान रंग के दो अलग–अलग क्षेत्रों को शामिल करना होता। यह तथ्य कि दोनों धाराओं को एक ही संशोधनकारी अधिनियम में एक पैकेज के रूप में शामिल किया गया था, उक्त

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्माण को और समर्थन देता है।

* * *

15 दोनों वर्गों में समान विशेषता विभिन्न धार्मिक या नस्लीय या भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों और समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावना को बढ़ावा देना है, यह आवश्यक है कि कम से कम दो ऐसे समूहों या समुदायों को शामिल किया जाए। किसी अन्य समुदाय या समूह के संदर्भ के बिना केवल एक समुदाय या समूह की कटाई को उकसाना दोनों में से किसी भी वर्ग को आकर्षित नहीं कर सकता है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. इस निर्णय को करने से पहले,यह देखना उचित होगा कि जिस तरीके से धारा 153 क, 124 क और 505 (2) के तहत अपराधों के लिए दोषसिद्धि दर्ज की गई है, वह विचारण न्यायालय के बहुत ही लापरवाह दृष्टिकोण को दर्शाता है। उपरोक्त धाराओं के प्रावधानों को आकर्षित करने वाले किसी भी साक्ष्य के अभाव को छोड़ दें, जैसा कि पहले ही देखा गया है, यहां तक कि इन अपराधों के लिए अपीलार्थी के खिलाफ बनाए गए आरोपों में भी तीन धाराओं के तहत अपराधों के आवश्यक तत्व शामिल नहीं थे। अपीलार्थी को उन अपराधों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए था। राजद्रोह जैसे गंभीर प्रकृति के

अपराधों और शत्रुता और घृणा आदि को बढ़ावा देने के लिए एक नागरिक को दोषी ठहराने वाला यांत्रिक आदेश मूल उद्देश्य को नुकसान पहुँचाता है। यह उम्मीद की जाती है कि अपराध जितना भी गंभीर हो, उतना ही अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि किसी नागरिक की स्वतंत्रता में तनिक भी हस्तक्षेप न हो।"

33. द०प्र०सं० की धारा 197 के तहत अभियोजन की अनुमति देने के संबंध में, डी०टी० विरूपाक्शप्पा (सुप्रा०) में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"7. जाँच के दौरान 'पुलिस की ज्यादती' का मुद्दा और उस संबंध में अभियोजन के लिए मंजूरी की आवश्यकता भी न्यायदृष्टांत उड़ीसा राज्य द्वारा कुमार राघवेंद्र सिंह और अन्य बनाम गणेश चंद्र जीयू (2004) 8 एससीसी 40, के कंडिका–7 में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि(एससीसी पीपी 46–47:

"7. धारा 197 के तहत दिया गया संरक्षण जिम्मेदार लोक सेवकों को उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए संभवतः परेशान करने वाली आपराधिक कार्यवाही की स्थापना से बचाने के लिए है, जबकि वे लोक सेवकों के रूप में कार्य कर रहे हैं या कार्य करने का इरादा रखते हैं। विधायिका की नीति यह सुनिश्चित करने के लिए लोक

सेवकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना है कि बिना उचित कारण के अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए उन पर मुकदमा न चलाया जाए और यदि मंजूरी दी जाती है, तो सरकार को अभियोजन का पूर्ण नियंत्रण प्रदान करने के लिए, यदि वे इसका प्रयोग करना चाहते हैं। इस संरक्षण की कुछ सीमाएँ हैं और यह केवल तभी उपलब्ध है जब लोक सेवक द्वारा किया गया कथित कार्य उचित रूप से अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से जुड़ा हो और यह केवल आपत्तिजनक कार्य करने के लिए एक लबादा नहीं है। यदि अपने आधिकारिक कर्तव्य का पालन करते हुए, उसने अपने कर्तव्य से अधिक कार्य किया, लेकिन अधिनियम और आधिकारिक कर्तव्य के प्रदर्शन के बीच एक उचित संबंध है, तो अतिरिक्त लोक सेवक को सुरक्षा से वंचित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा। सवाल अपराध की प्रकृति के बारे में नहीं है जैसे कि क्या कथित अपराध में एक ऐसा तत्व शामिल है जो अनिवार्य रूप से अपराधी के लोक सेवक होने पर निर्भर करता है, लेकिन क्या यह एक लोक सेवक द्वारा किया गया था जो अपनी आधिकारिक क्षमता के निर्वहन में कार्य कर रहा था या कार्य करने का इरादा रखता था। धारा 197 को लागू करने से पहले, यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिखाया जाना चाहिए कि संबंधित अधिकारी पर अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने के लिए कथित रूप से किए गए अपराध का आरोप लगाया गया था। यह कर्तव्य नहीं है जिसके लिए अधिनियम की तरह जांच की आवश्यकता होती है, क्योंकि आधिकारिक कार्य आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के साथ–साथ इसकी अवहेलना दोनों में किया जा सकता है। यह अधिनियम संबंधित लोक सेवक के आधिकारिक कर्तव्यों के दायरे और सीमा के भीतर आना चाहिए। यह अधिनियम की गुणवत्ता है जो महत्वपूर्ण है और इस धारा का संरक्षण उपलब्ध है यदि अधिनियम उसके आधिकारिक कर्तव्य के दायरे और सीमा के भीतर आता है ... " ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. ओम प्रकाश (2012) 12 एस. सी. सी. 72) में, इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, विशेष रूप से पुलिस की अतिरेकता के संबंध में निर्णय के पैराग्राफ–32 में दिशानिर्देशों का सारांश दिया, जो इस प्रकार हैः (एस. सी. सी. पृष्ठ 89)

"32. इस बात की सही परीक्षा यह होगी, कि क्या कोई लोक सेवक अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था या कार्य करने का इरादा रखता था, क्या शिकायत किया गया कार्य सीधे उसके आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़ा था या यह उसके

आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया था या यह उसके कार्यालय के साथ इतना अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ था या उससे जुड़ा हुआ था कि इससे अविभाज्य हो (के. सतवंत सिंह) । संहिता की धारा 197 के तहत दिए गए संरक्षण की कुछ सीमाएँ हैं और यह केवल तभी उपलब्ध है जब लोक सेवक द्वारा किया गया कथित कार्य उचित रूप से अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से जुड़ा हो और यह केवल आपत्तिजनक कार्य करने के लिए एक लबादा नहीं हो। यदि अपने आधिकारिक कर्तव्य का पालन करते हुए, लोक सेवक ने अपने कर्तव्य से अधिक कार्य किया है, लेकिन अधिनियम और आधिकारिक कर्तव्य के प्रदर्शन के बीच एक उचित संबंध है, तो लोक सेवक को सुरक्षा से वंचित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा (गणेश चंद्र जीयू) यदि उपरोक्त परीक्षण वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू किये जाते हैं, तो पुलिस को संहिता की धारा 197 के तहत सुरक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि जिन कृत्यों की शिकायत की गई है, वे उनके कार्यालय से इतने अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए हैं कि इससे अविभाज्य हैं। हमारे लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है कि संहिता की धारा 197 के तहत दी गई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सुरक्षा का उपयोग इस मामले में पुलिस कर्मियों द्वारा मृतक की निर्मम हत्या के लिए किया जाता है।

34. एक अन्य निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त मुद्दे के संबंध में डी. देवराज (उपर्युक्त) में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः–

"68. यदि किसी आधिकारिक कर्तव्य के पालन में एक पुलिसकर्मी ने कर्तव्य से अधिक कार्य किया है, लेकिन कार्य और आधिकारिक कर्तव्य के प्रदर्शन के बीच एक उचित संबंध है, तो यह तथ्य कि कथित कार्य कर्तव्य से अधिक है, पुलिसकर्मी को उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए सरकारी मंजूरी के संरक्षण से वंचित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

69. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 और कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 170 की भाषा और उद्देश्य यह पूरी तरह से स्पष्ट करती है कि अभियोजन स्वीकृति न केवल आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए आवश्यक है, बल्कि आधिकारिक कर्तव्य और/या ऐसे कर्तव्य, जो कर्तव्य में निर्वहन किये जाने वाले कार्य के अतिरेक में किये गये हों, के लिए भी आवश्यक है।

*   *   *

72. इस प्रश्न पर कि विचारण न्यायालय को किस स्तर पर यह जांचना

है कि क्या अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई है और यदि अभियोजन स्वीकृति प्राप्त नहीं है, तो क्या आपराधिक कार्यवाही को शुरू में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए, के संबंध में इस न्यायालय ने अनेक निर्णयों में निर्णित किया है ।

73. इस न्यायालय में, डी०टी० विरूपाक्षप्पा में अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय ने माताजोग डोबे (उपर्युक्त) में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी शिकायत का संज्ञान लेते हुए विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त न करने में त्रुटि की है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह सदैव आवश्यक नहीं है कि धारा 197 के अधीन स्वीकृति की आवश्यकता, शिकायत दर्ज होते ही हो और उसमें निहित आरोपों पर ही विचार किया जाए। शिकायतकर्ता यह खुलासा नहीं कर सकता है कि अपराध का गठन करने वाला कार्य आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन और/या कर्तव्य के अतिरेक में किया गया था । हालांकि मुकदमे के दौरान या पुलिस या न्यायिक जांच पर बाद में सामने आने वाले तथ्यों से मंजूरी की आवश्यकता स्थापित हो सकती है, किंतु अभियोजन स्वीकृति की आवश्यक है या नहीं, यह कार्यवाही के किसी भी चरण में निर्धारित करना पड़ सकता है। 74. यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि दंड

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक आवेदन ऐसी कार्यवाहियों को निरस्त करने के लिए पेश किया जा सकता है, जो अभियोजन स्वीकृति के अभाव में, अवैधानिक या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए की गई हों । यदि, शिकायत से यह दर्शित हो कि कथित कार्य का आधिकारिक कर्तव्य के साथ एक उचित संबंध प्रतीत होता है, जहां आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से प्रेरित है और गलत उद्देश्य से शुरू की गई है, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का उपयोग न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्यवाही को निरस्त करने के लिए किया जा सकता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. राधेश्याम केजरीवाल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है:–

"38. इन निर्णयों से जो अनुपात निकाला जा सकता है वह मोटे तौर पर निम्नानुसार कहा जा सकता है:–

(i) न्यायिक कार्यवाही और आपराधिक अभियोजन एक साथ शुरू किया जा सकता है;

(ii) आपराधिक अभियोजन शुरू करने से पहले न्यायिक कार्यवाही में निर्णय आवश्यक नहीं है;

(iii) न्यायिक कार्यवाही और आपराधिक कार्यवाही एक–दूसरे के

लिए स्वतंत्र प्रकृति की हैं;

(iv) न्यायिक कार्यवाही में अभियोजन का सामना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ निष्कर्ष आपराधिक अभियोजन के लिए कार्यवाही पर बाध्यकारी नहीं है;

(v) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा न्यायिक कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 20 (2) के प्रावधानों या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 को आकर्षित करने के लिए एक सक्षम अदालत द्वारा अभियोजन नहीं है;

(vi) समान उल्लंघन के लिए मुकदमे का सामना कर रहे व्यक्ति के पक्ष में न्यायिक कार्यवाही में निष्कर्ष, ऐसी कार्यवाही में निष्कर्ष की प्रकृति पर निर्भर करेगा। यदि न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों में दोषमुक्ति तकनीकी आधार पर है और योग्यता पर नहीं है, तो अभियोजन जारी रह सकता है; और

(vii) दोषमुक्ति के मामले में, हालांकि, गुणदोष पर जहां आरोप बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं पाया जाता है और व्यक्ति को निर्दोष ठहराया जाता है, समान तथ्यों और परिस्थितियों पर आपराधिक अभियोजन जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, अंतर्निहित सिद्धांत आपराधिक मामलों में सबूत का उच्च मानक है।

36. याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों में से एक यह है कि उसने जमानत पर रिहाई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को सुविधाजनक बनाने के लिए शिकायतकर्ता से जबरन वसूली की। जबरन वसूली के मुद्दे पर, उच्चतम न्यायालय ने इसाक इसंगा मुसुम्बा और अन्य के मामले में कहा है कि जब तक धमकी के अनुसार आरोपी व्यक्ति को संपत्ति नहीं दी जाती है, तब तक जबरन वसूली का कोई अपराध नहीं बनता है और धारा 384 भा०द०वि० के तहत अपराध के लिए पुलिस द्वारा प्रथम सूचना पत्र दर्ज नहीं किया जा सकता है ।

37. वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज जबरन वसूली से संबंधित प्रथम सूचना पत्र छः साल की देरी से दर्ज की गई और इस संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने हसमुखलाल डी. वोरा के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"23. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी ने प्रारंभिक स्थल निरीक्षण, कारण बताओ नोटिस और शिकायत के बीच चार साल से अधिक की असाधारण देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। वास्तव में, इस तरह के स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति केवल न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के पीछे कुछ भयावह उद्देश्य का अनुमान लगाने के लिए प्रेरित करती है।

24. हालांकि अपने आप में अत्यधिक देरी एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने का आधार नहीं हो सकती है, ऐसे मामलों में, इस तरह की अवधि की अस्पष्टीकृत अत्यधिक देरी को एक आपराधिक शिकायत को

रद्द करने के आधार के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में ध्यान में रखा जाना चाहिए।

25. यद्यपि यह न्यायालय आपराधिक शिकायत के स्तर पर पूर्ण जांच की अपेक्षा नहीं करता है, तथापि ऐसे मामलों में जहां अभियुक्त को इतने लंबे समय तक आपराधिक कार्यवाही के संभावित प्रारंभ की चिंता का सामना करना पड़ा है, न्यायालय के लिए जांच अधिकारियों से न्यूनतम साक्ष्य की अपेक्षा करना ही उचित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. पुनरावृत्ति करते हुए, हम फिर से कहते हैं कि शिकायत दर्ज करने और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का उद्देश्य केवल न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होना चाहिए, और कानून का उपयोग अभियुक्त को परेशान करने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। कानून, निर्दोषों की रक्षा के लिए एक ढाल के रूप में अस्तित्व में है, न कि उन्हें धमकी देने के लिए तलवार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

38. धारा 482 द०प्र०सं० के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों के संबंध में, अहमद अली कुरैशी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है किः-

"13. कर्नाटक राज्य बनाम एम. देवेंद्रप्पा, {(2002) 3 SCC 89} में तीन-न्यायाधीशों की पीठ को धारा 482 द०प्र०सं० के दायरे पर विचार करने का अवसर मिला। धारा 482 द०प्र०सं० के दायरे का विश्लेषण

करके, इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि न्यायालय का अधिकार न्याय की उन्नति के लिए मौजूद है और यदि उस प्राधिकरण का दुरुपयोग करने का कोई प्रयास किया जाता है ताकि अन्याय पैदा किया जा सके, तो न्यायालय के पास दुरुपयोग को रोकने की शक्ति है। न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया है कि यदि न्यायालय को लगता है कि किसी कार्यवाही की शुरुआत/निरंतरता न्यायालयिन प्रक्रिया का दुरुपयोग है या ऐसी कार्यवाहियों को रद्द करना न्याय के उद्देश्य को सफल बनायेगा, तो न्यायालय ऐसी कार्यवाहियों को रद्द करने का आदेश पारित कर सकता है। निर्णय की पैरा 6 में निम्नलिखित अभिलिखित किया गया हैः (एस. सी. सी. पृ. 94)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "6. ... सभी न्यायालय चाहे सिविल हो या आपराधिक , संविधान में निहित किसी भी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में, सभी ऐसी शक्तियां रखते हैं जो न्याय प्रशासन के दौरान सही करने और गलत करने के लिए आवश्यक है। सिद्धांत लैक्स एलीक्वीड ऐलिकुई कॉन्से कॉन्सेडर विडेटुर एट आईडी सिने क्वो रेस इप्से एसे नॉन पोटेस्ट (जब कानून किसी व्यक्ति को कुछ देता है तो वह उसे वह देता है जिसके बिना वह अस्तित्व में नहीं रह सकता) धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, न्यायालय अपील या पुनरीक्षण के

न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है। धारा के तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग हालांकि व्यापक रूप से संयम, सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और केवल तभी जब इस तरह के अभ्यास को धारा में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया जाता है। इसका प्रयोग वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए किया जाना चाहिए, जिसके प्रशासन के लिए केवल न्यायालयों को अधिकार प्राप्त हैं । न्याय की प्रगति के लिए न्यायालय का अधिकार मौजूद है और यदि उस अधिकार का दुरुपयोग करने का कोई प्रयास किया जाता है ताकि अन्याय पैदा किया जा सके, तो न्यायालय के पास दुरूपयोग को रोकने की शक्ति है। यह किसी भी कार्रवाई की अनुमति देने के लिए अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा जिसके परिणामस्वरूप अन्याय होगा और न्याय को बढ़ावा देने में बाधा आएगी। शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय किसी भी कार्यवाही को रद्द करने के लिए न्यायोचित होगा यदि वह पाता है कि इसकी शुरुआत/निरंतरता न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने या इन कार्यवाही को रद्द करने के बराबर है अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। जब शिकायत द्वारा किसी अपराध का खुलासा नहीं किया जाता है, तो अदालत तथ्य के प्रश्न की जांच

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कर सकती है। जब किसी शिकायत को रद्द करने की मांग की जाती है, तो यह आकलन करने के लिए सामग्री को देखने की अनुमति है कि शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाया है और क्या कोई अपराध सामने आया है, भले ही आरोप पूरी तरह से स्वीकार किए गए हों।

14. आगे पैरा 8 में निम्नलिखित कहा गया थाः (देवेंद्रप्पा {(2002) 3 एससीसी 89}, एससीसी पृष्ठ 95)

> "8. ... न्यायिक प्रक्रिया उत्पीड़न या अनावश्यक उत्पीड़न का साधन नहीं होना चाहिए। न्यायालय को विवेकाधिकार का प्रयोग करने में चौकस और विवेकपूर्ण होना चाहिए और प्रक्रिया जारी करने से पहले सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा न हो कि यह किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए प्रतिशोध शुरू करने के लिए एक निजी शिकायतकर्ता के हाथों में एक साधन होगा। साथ ही यह धारा किसी अभियुक्त को अभियोजन को संक्षिप्त करने या अभियोजन कार्यवाही को समाप्त करने का साधन नहीं है। संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग का दायरा और उन मामलों की श्रेणियां जहां उच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए संज्ञेय अपराधों से संबंधित अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, इस न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल मामले में कुछ विस्तार से निर्धारित किया गया था। 15. सुंदर बाबू बनाम तमिलनाडु राज्य, (2009) 14 SCC 244 में, यह न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 द०प्र०सं० के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भा०द०वि० की धारा 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी। इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि दायर की गई शिकायत कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं थी और आरोप निराधार थे। अभियोजन एजेंसी ने धारा 482 द०प्र०सं० के तहत दायर याचिका को चुनौती दी थी। अभियोजन ने यह आधार लिया था कि शिकायत के अवलोकन मात्र से अपराध का होना स्पष्ट हो रहा है । ऐसे में ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही को रद्द नहीं किया जाना चाहिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

। उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया और आवेदन को खारिज कर दिया। इस न्यायालय ने भजन लाल के मामले में निर्णय का उल्लेख किया और कहा है कि यह मामला श्रेणी 7 के अंतर्गत आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रेणी 7 पर भरोसा करते हुए कहा है कि धारा 482 के तहत आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए और कार्यवाही को रद्द किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. इस न्यायालय ने पूर्व के निर्णयों पर विचार करने के बाद, जिसमें हरियाणा राज्य विरूद्ध भजन लाल तथा विनीत कुमार का प्रकरण शामिल है । इस न्यायालय ने विनीत कुमार के प्रकरण में पैराग्राफ 41 में निम्नलिखित निर्धारित किया हैः– (विनीत कुमार मामला)

> "41. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय को दी गई अंतर्निहित शक्तियां न्याय की उन्नति और उद्देश्य से प्रदत्त हैं । यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य से न्यायालय की गंभीर प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की मांग की जाती है, तो न्यायालय को इस प्रयास को बहुत हद तक विफल

करना होगा। न्यायालय अभियोजन चलाने की अनुमति नहीं दे सकता है यदि मामला, हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल में उल्लिखित श्रेणियों में से एक में आता है। न्यायिक प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कार्यवाही है जिसे संचालन या उत्पीड़न के साधन में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जब यह इंगित करने के लिए सामग्री है कि एक आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से की जाती है और कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से शुरू की जाती है, तो उच्च न्यायालय द०प्र०सं० की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में संकोच नहीं करेगा, जैसा कि हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल में अभिनिर्धारित किया गया है, जो निम्नानुसार हैंः (एस. सी. सी. पृष्ठ 379, पैरा 102)

"102. .... (7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से पेश किया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे रोकने की दृष्टि से शुरू की जाती है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल के फैसले का हवाला दिया है, लेकिन वर्तमान मामले के उन प्रासंगिक तथ्यों पर विचार नहीं किया है, जिन सामग्रियों पर विवेचना अधिकारी द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकार, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि यह मामला एक उपयुक्त मामला है जहां उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए था और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर देना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अब, जब हम उपरोक्त उल्लिखित मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात के आलोक में वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां दोनों पक्ष आपस में संबंधित हैं और पड़ोसी हैं। अभियुक्त के पिता और शिकायतकर्ता के बीच संपत्ति को लेकर दीवानी विवाद भी चल रहा है। घटना जिसे अपीलार्थी

को समन करने के लिए आधार बताया गया है, दिनांक 19.07.2016 की है, जो शिकायतकर्ता के घर के सामने कथित रूप से हुई है। रिकॉर्ड पर सामग्री इंगित करती है कि पक्षों के बीच झगड़ा दिनांक 19.07.2016 को हुआ था और पुलिस मौके का मुआयना किया और धारा 151, 107 और 116 द०प्र०सं० के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। राज्य ने सीओ, सिटी की दिनांक 11.12.2016 की जांच रिपोर्ट की प्रति को रिकॉर्ड पर पेश किया है, जिसमें यह उल्लेखित है किः–

"... संपूर्ण जांच में पाया गया कि आवेदक श्री सज्ज़ाद कुरैशी और विरोधी पक्ष अनवारुल हक के बीच नाले के निर्माण को लेकर विवाद था, जिसके बारे में दोनों पक्षों के बीच 19.07.2016 को विवाद शुरू हुआ था। पुलिस स्टेशन कोतवाली में विवाद की सूचना मिलने पर, तत्कालीन थाना प्रभारी उपनिरीक्षक श्री हरि प्रकाश यादव ने शांति बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों पर 20.07.2016 को द०प्र०सं० की धारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

151,107,116 के तहत कार्यवाही की थी। जांच के दौरान, माननीय आयोग के समक्ष आवेदक द्वारा दिनांक 03.08.2016 को दायर की गई शिकायत का अवलोकन किया गया और पाया गया कि आवेदक ने माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय क्रमांक 1, जौनपुर के समक्ष द०प्र०सं० की धारा 156 (3) के तहत समान आरोपों की शिकायत दिनांक 29.08.2016 को पेश की है, जिसमें माननीय विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय क्रमांक 1, जौनपुर ने अपने 14.10.2016 के आदेश के अनुसार कहा है कि उक्त मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों में मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं हैं। पूछताछ के दौरान दर्ज किए गए अन्य गवाहों और आस-पास के लोगों के बयानों से पूछताछ की गई, जिसमें चश्मदीद गवाहों ने आवेदक सज्ज़ाद कुरैशी और विरोधी पक्ष अनवर अली के बीच नाले को लेकर हुए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवाद के तथ्य को बताया और आवेदक द्वारा अपने आवेदन में लगाए गए आरोपों को नकारते हुए कहा कि विरोधी पक्ष अहमद अली और लियाकत अली अनवर के बेटों द्वारा आवेदक की बेटियों के साथ गंदी/अभद्र हरकत/कार्य या हाथापाई करने का तथ्य सामने नहीं आया है। पूछताछ के दौरान, आवेदक मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। आवेदक द्वारा लगाए गए अन्य आरोप जांच से साबित नहीं हुए हैं। मौके पर शांति बनी हुई है, फिर भी कोतवाली के थाना प्रभारी को पार्टियों पर नजर रखते हुए शांति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. उपरोक्त रिपोर्ट को इस न्यायालय द्वारा केवल घटना के अनुक्रम को लेने के लिए विचार किया गया है, साक्ष्य के रूप में नहीं । उन्हीं आरोपों पर, शिकायतकर्ता ने धारा 156 (3) द०प्र०सं० के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसे सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 14.10.2016 के आदेश द्वारा निराकृत करते

हुए निरस्त कर दिया गया था कि अपीलार्थी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए कोई पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं हैं ।

19. सत्र न्यायाधीश के उक्त आदेश के विरूद्ध दायर पुनरीक्षण याचिका में, इस न्यायालय ने धारा 156 (3) द०प्र०सं० के तहत याचिका को निरस्त किया, किंतु यह व्यक्त किया कि शिकायतकर्ता के पास उचित आवेदन दायर करने का विकल्प मौजूद है। इसके बाद शिकायतकर्ता ने शिकायत क्रमांक 1/2017 प्रस्तुत किया । यह सत्य है कि धारा 156 (3) द०प्र०सं० के तहत आवेदन की अस्वीकृत, किसी भी तरह से शिकायतकर्ता को धारा 200 द०प्र०सं० के तहत शिकायत दर्ज करने से नहीं रोकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39. विचारण न्यायालय द्वारा आरोपों को विरचित किये जाने के संबंध में, उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में पुष्पेंद्र कुमार सिन्हा के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि:–

"27. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि आरोप विरचित किये जाने के

समय, अभिलेख पर सामग्री के गुण–दोष पर विचार नहीं किया जा सकता है, लेकिन आरोप तैयार करने से पहले न्यायालय को अभिलेख में उपलब्ध सामग्री पर अपने न्यायिक विवेक से इस तथ्य पर संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी द्वारा अपराध करना संभव था। वास्तव में, न्यायालय के पास जांच की सीमित गुंजाइश है और उसे यह देखना है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। साथ ही, न्यायालय से अभियोजन पक्ष की कहानी को प्रतिबिंबित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, बल्कि मामले की व्यापक संभावनाओं, प्रथम दृष्टया साक्ष्य के वजन, प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और किसी भी बुनियादी दुर्बलता आदि पर विचार करने की अपेक्षा की जाती है। इस संबंध में "भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल, (1979) 3 एस. सी. सी. 4" का निर्णय अवलोकनीय है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

40. उच्चतम न्यायालय ने भजन लाल के मामले में यह अभिमत दिया है कि जहां किसी आपराधिक कार्यवाही में दुर्भावनापूर्ण रूप से भाग लिया जाता है और या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से अभियुक्त पर प्रतिशोध लेने के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ शुरू की जाती है और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे रोकने की दृष्टि से, द०प्र०सं० की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इन तीनों याचिकाओं के तथ्यों और परिस्थितियों

के सामूहिक अध्ययन से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई द्वेषपूर्ण और गलत उद्देश्य से की गई थी।

41. नौकरशाही शासन की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करती है, स्थिरता, निरंतरता और सार्वजनिक नीतियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है। इन नीतियों के निष्पादक के रूप में नौकरशाहों से अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक नेतृत्व की परवाह किए बिना निष्पक्षता बनाए रखते हुए नियमों और विनियमों के ढांचे के भीतर काम करें। हालाँकि, जब राजनीतिक शासन बदलते हैं, तो नौकरशाह अक्सर खुद को अशांत स्थिति में पाते हैं। नौकरशाहों को कानूनों को लागू करने, सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन और सरकारी संस्थानों के रोजमर्रा के कामकाज को बनाए रखने का काम सौंपा जाता है। आदर्श रूप से, उनका काम राजनीतिक विचारधाराओं से परे है, यह सुनिश्चित करते हुए कि शासन निर्बाध रूप से चलता रहे। स्थापित प्रक्रियाओं और विनियमों का उनका पालन एक स्थिर प्रशासनिक प्रणाली की नींव बनाता है। हालाँकि, राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान इस तटस्थता से अक्सर समझौता किया जाता है। राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन अक्सर प्राथमिकताओं, विचारधाराओं और शासन शैलियों में बदलाव लाता है। जिन नौकरशाहों ने पहले अपने काम को निवर्तमान शासन की नीतियों के साथ जोड़ा था, वे खुद को विरोध में पा सकते हैं। इससे वे पेशेवर हाशिए पर जा सकते हैं, क्योंकि नए शासन उन्हें परिवर्तन

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के प्रतिरोधी या पूर्व नेतृत्व के प्रति वफादार मान सकते हैं। राजनीतिक नेता, विशेष रूप से सत्तावादी या लोकलुभावन शासनों में, अक्सर योग्यता पर वफादारी को प्राथमिकता देते हैं। पिछली सरकार की नीतियों का सख्ती से पालन करने वाले नौकरशाहों को नए नेतृत्व के एजेंडे में बाधाओं के रूप में देखा जा सकता है, भले ही उनके कार्य कानून और विनियमों द्वारा निर्देशित हों। यह संदेह दंडात्मक उपायों को जन्म दे सकता है, जिसमें पदच्युति, स्थानांतरण या यहां तक कि बर्खास्तगी भी शामिल है। उन्हें नए नेतृत्व के निर्देशों के साथ संरेखित करके अपनी अखंडता से समझौता करने के लिए दबाव डाला जा सकता है, भले ही ये स्थापित कानूनों या नैतिक मानकों के साथ संघर्ष करते हों। अनुपालन से इनकार करने के परिणामस्वरूप व्यवसायिक विफलताएं हो सकती हैं, जबकि अनुपालन उनकी निष्पक्षता में जनता के विश्वास को कम कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

42. जब अनुभवी और नियमों का पालन करने वाले अधिकारियों को दरकिनार कर दिया जाता है, तो प्रशासनिक दक्षता प्रभावित होती है। नौकरशाही में राजनीतिक हस्तक्षेप इसकी निष्पक्षता को कम करता है, जिससे सरकारी संस्थानों में जनता का विश्वास कम होता है। इसके अलावा, अधिकारियों के लगातार फेरबदल के परिणामस्वरूप संस्थागत स्मृति की हानि हो सकती है, जिससे सार्वजनिक नीतियों की प्रभावशीलता कमजोर हो सकती है। झूठे मामले

इस तरह के प्रतिरोध को चुप कराने या दंडित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक सामान्य उपकरण हैं। ये मनगढ़ंत आरोप भ्रष्टाचार, कर्तव्य में लापरवाही या सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों से लेकर आपराधिक साजिश जैसे और भी गंभीर आरोपों तक हो सकते हैं। इस तरह के मामले नौकरशाह की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं, उनके करियर को बाधित करते हैं और अन्य अधिकारियों के बीच डर पैदा करते हैं जो अन्यथा इसी तरह के दबावों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं।

43. याचिकाकर्ता का सेवा ट्रैक रिकॉर्ड, जिसमें विभिन्न पदक और सम्मान शामिल हैं, यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता भारतीय पुलिस सेवा का एक सक्षम अधिकारी है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

44. विचाराधीन प्राथमिकियों की सामग्री को देखने पर, यह याचिकाकर्ता के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए एक अप्रत्यक्ष उद्देश्य के साथ दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का मामला प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम सूचना पत्र केवल एक ऐसे अधिकारी को शामिल करने के इरादे से दर्ज की गई थी जो खुद को नए शासन के वफादारों(गुड बुक्स) में नहीं रख सका। प्रत्यर्थी/राज्य की किसी भी प्रकार की जांच किए बिना और जल्दबाजी में एक के बाद एक प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई से यह पता चलता है कि तत्कालीन शासन याचिकाकर्ता को उन कारणों के लिए दंडित करने पर आमादा था जो उन्हें

सबसे अच्छी तरह से पता था। राज्य का दृष्टिकोण और प्राथमिकियों के साथ कार्यवाही करने के तरीके से यह भी पता चलता है कि आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह के मामले में या उस मामले में जहां आरोप छः साल बाद लगाए गए थे, ऐसी कोई सामग्री नहीं थी कि याचिकाकर्ता प्रभावित हो सकता था और शिकायतकर्ता को डिफ़ॉल्ट जमानत प्राप्त करने में मदद कर सकता था। प्रथम दृष्टया निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री नहीं है कि याचिकाकर्ता ने बेहिसाब और आय से अधिक संपत्ति और आय जमा की थी। यह समझना मुश्किल है कि महानिरीक्षक रैंक का एक अधिकारी जमानत देने में एक आरोपी की मदद करने के छोटे मामले में कैसे रुचि रखेगा। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि शिकायतकर्ता को याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में छह साल क्यों लगे। शिकायतकर्ता का आचरण ही संदिग्ध है और कम से कम इस संबंध में प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए थी। यहां तक कि जिन फटे हुए कागजों को राजद्रोही कहा गया था, उन्हें भी कभी भी विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया, जो अभियोजन पक्ष की कहानी की वास्तविकता के संबंध में एक गंभीर संदेह भी पैदा करता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और इसमें शामिल मुद्दों को भजन लाल के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के पैराग्राफ 102 के खंड (7) के तहत पूरी तरह से शामिल किया गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

45. उपरोक्त विवेचना पर विचार करते हुए सीआरएमपी क्रमांक 1488/2023, अपराध क्रमांक 590/2021, थाना सुपेला, जिला दुर्ग, दिनांक 27.07.2021 में पंजीकृत, अभियोग पत्र क्रमांक 334/2022 और याचिकाकर्ता के संबंध में परिणामी आपराधिक कार्यवाहियां, निरस्त की जाती हैं।

46. सीआरएमपी क्रमांक–2747/2023 के संबंध में, दिनांक 04.08.2023 का आदेश विद्वान विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम) और प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा विशेष आपराधिक प्रकरण क्रमांक 01/2022, निरस्त किया जाता है ।विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.09.2023 निरस्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

47. सीआरएमपी क्रमांक– 683/2024, अपराध क्रमांक 134/2021 दिनांक 08.07.2021 थाना कोतवाली, जिला रायपुर में दर्ज प्रथम सूचना पत्र एवं आरोप पत्र क्रमांक 120/2021 (अनुलग्नक पी/1 सामूहिक रूप से) और याचिकाकर्ता के संबंध में परिणामी आपराधिक कार्यवाहियां, निरस्त की जाती हैं।

48. परिणामतः, यह तीनों सीआरएमपी **स्वीका**र की जाती हैं । व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है ।

सही/–　　　　　　　　　　　　　　सही/–

रविन्द्र कुमार अग्रवाल
न्यायाधीश

रमेश सिन्हा
मुख्य न्यायाधिपति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हेड नोट

यदि तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि आपराधिक कार्यवाहियां दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए गुप्त उद्देश्य से प्रारंभ की गई हैं, तब आरोप पत्र एवं पारिणामिक आपराधिक कार्यवाहियों को निरस्त करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा482 के तहत निहित अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**